			AMOUNT DE	AMOUNT DEMANDED UNDER DIFFERENT HEAD	FERENT HEAD	
AREA IN (Ha.)	AREA UNDER VIOLATION (Ha.)	LETTER No. & DEMAND NOTE ISSUE DATE	CA LAND (RS.)	NPV (Rs.)	PENAL NPV (Rs.)	TOTAL (A+8+C) (Rs.)
13.0825		2261-02.08.2019 2455-20.08.2019		81,89,645.000		81,89,645.000
5.2673		2637-02.08.2019		32,97,330.000		32,97,330.000
21.774	1.016	4995-20.08.2019 4881-14.08.2019 4767-09.08.2019 4690-03.08.2019		136,30,524.000	1,37,381.000	137,67,905.000
12.7184		2723-01.08.2019		112,81,221.000		112,81,221.000
3.2344	0.6586	2278-02.08.2019 2379-13.08.2019	484,75,036.000	20,24,734,400	87,173.700	\$05,86,944,100
22.65	1.852	2467-07.08.2019		181,87,950.000	3,18,252.000	185,06,202.000
1.8789		2138-20.08.2019 1991-01.08.2019		16,66,584.000		16,66,584.000
15.9036		3705-02.08.2019 3957-20.08.2019		127,70,591.000		127,70,591.000
0.7292		2319-19.08.2019		5,85,548.000		5,85,548,000
0.2518		2008- 19.08.2019 1938- 05.08.2019		1,57,626.800		1,57,626.800
8.4621		1930-03.08.2019 2046-20.08.2019		52,97,275.000		52,97,275.000
7.5425		1777-06.08.2019		47,21,605.000		47,21,605.000
113.4947	3.5266		48475036 (including GST in few commonents)	818,10,634,200	5,42,806.700	1308,28,476.900

3 For GAIL (INDIA) JUMITED



Office of the Divisional Forest Officer, Chatra North Forest Division.

Van Bhavan, Chatra- 825401(Jharkhand)

		Ph. & Fax (o)- 06541-296022	E-m	ail-dfo-chatranorth@gov.in
	То,	Letter No 2455	Date-	20.08.2019
		Senior Manager (Construction), GAIL India Limited, Doranda, Ranchi.		
	Subject :	Diversion of 113.4947 ha of fo gas pipe line project in favour of		for Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra L (India) Limited in Jharkhand.
1	Reference :	Regional Office Ranchi - No.	FP/JH/Ot	ronment, Forests & Climate Change, hers/27162/2017/3315 Dated 29.07.2019 orth Forest Division letter no. 2261 dt.

Sir,

With reference to above Quoted letter, in-principle approval has been granted by the Government of India, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Regional Office Ranchi for diversion of 113.4947 ha of forest land for Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dharma gas pipeline project. As per the in-principle to approve following condition have to comply by you.

SL No.	Name of Project	Area of diverted forest land	Conditions imposed vide MoEF& Climate Change, Regional Office letter no.FP/JH/Others/27162/2017/331 5 Dated 29.07.2019	Shortcoming demand raised by DFO, Chatra North Forest Division.
1	2	3	4	5
1	Jagdishpur- Haldia- Bokaro- Dhamra Gas Pipe line project in favour of	113.4947 ha. (Chatra North- 13.0825 ha.)	Legal status of forest land shall remain unchanged.	Legal status of the proposed forest land remain unchanged.
2	M/s GAIL (India) Limited		Compensatory Afforestation :Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 231.193 ha. degraded forest land (Site- Barkitand, Thana-Bengabad/88, Plot No- 140,169,212,237,261; Site- Mahabank, Thana- Bengabad/132, Plot No. 2,6,418,439; Site- Dwarpahri, Thana- Gawan/70, Plot No- 8; Site- Tetariya, Thana- Gawan/173, Plot No- 29; Site- Malukchal, Thana- Gawan/84, Plot No- 9,67,115,116,123,186,187) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	The user agency has to submit a copy of receipt of amount deposited in lieu of Compensatory Afforestation Levied by the Giridih East Division over 231.193 ha degraded forest land.

D:\BACK UP\MAP section\2019-20

3		The cost of Compensatory Afforestation at the prevailing wages rates as per compensatory Afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent Pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for	copy of receipt of amoun deposited the cost o Compensatory Afforestation at the prevailing rate and cost of survey erection of Pillars in the Giridil East Division.
		subsequent years.	
4.	NPV:		
(a)		The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 113.4947 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002,01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (pt.II) dated 18.09.2003, as well as letter no. 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.	project. The user Agency has to deposit NPV of 13.0825 ha. forest land @ 6,26,000/ha. Rs.
(b)		The State Govt. shall charge the penal Net Present Value (NPV) for violation under report vide letter No. Van Bhumi-16/2019-2841 dated 26.07.2019, which is equal to 20% of NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to five times the NPV plus 12% simple interest till the deposits is made.	The User Agency has to submit undertaking for paying Penal Net Present Value (N.P.V.) in case of violation of Forest (Conservation) Act., 1980.
(c)		Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	The user Agency has submit undertaking for paying additional amount of NPV if imposed by the State Govt./Central Govt.

t

5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in).	The user Agency has to deposit Rs. 81,89,645.00 (Eighty One Lac Eighty Nine Thousand Six Hundred Forty Five only NPV related to the division in CAMPA fund only through e-portal (http://parivesh.nicin)
6	The State Government shall take actions for the violations under reference as prescribed under sub para (iii) and (iv) of Para 3(B) of the Ministry's letter No. 11- 42/2017-FC dated 29.01.2018.	The user Agency has to submit undertaking in this regard.
7	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	The user Agency has to submit undertaking to for cutting minimum number of trees and cost of felling tree should be deposited to Jharkhand State Forest Development Corporation.
8	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	The user agency has to comply with the guidelines and procure all certificates as desired under this condition and to be submitted in the office of undersigned.
9	The pipeline shall be laid down 1.5m below the ground surface and proper leveling will be done after installation of the pipeline.	The user Agency has to submit undertaking and comply in this regard.
10	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	The user Agency has to submit undertaking and comply in this regard.
11	The alignment and layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	The user Agency has to submit undertaking and comply in this regard.
12 (a)	No labour camp shall be established on the forest land.	The user Agency has to submit undertaking and comply in this regard.
(b)	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	The user Agency has to submit undertaking and comply in this regard.
13	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per	concrete boundary pillar of four

D:\BACK UP\MAP section\2019-20

Page 3

	the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	Pillar No, distance from pillar to pillar, backward bearing, forward bearing & GPS reading should be written on each concrete pillar. Concrete pillar must be constructed on each corner. If the boundary of the diverted forest land is in a straight line concrete pillar must be constructed on every 50 meter on both side
14	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	The user agency has to comply and submit undertaking in the regard.
15	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.	The user agency has to comply and an undertaking should be submit in this regard to the undersigned.
16 (a)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	The user agency has to comply and an undertaking should be submit in this regard to the undersigned.
(b)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Govt, of India.	The user agency has to comply and an undertaking should be submit in this regard to the undersigned.
17	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF& CC Guideline F.No. 11- 42/2017-FC dated 29.01.2018.	The user agency has to comply and an undertaking should be submit in this regard to the undersigned.
18	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & Wildlife.	The user agency has to comply and an undertaking should be submit in this regard to the undersigned.
19	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).	The user agency has to comply and an undertaking should be submit in this regard to the undersigned.

Therefore, you are requested to deposit Rs. 81,89,645.00 (Eighty One Lac Eighty Nine Thousand Six Hundred Forty Five only in CAMPA fund against NPV and comply other condition as soon as possible for early permission to start work in proposed area under this division.

Yours Faithfully, Divisional Forest Officer, Chatra North Forest Division.

D:\BACK UP\MAP section\2019-20

	तोर Ph. & Fax	(o)- 06541-2980	havan, Chatra- 825401(Jharkhand) D11 E-mail-dfo-chatra	anouth@aaaa ia
		1.		
To,		20	637 Date- 02/08/	19
1	Rake	sh Kumar,	and the second sec	
119		ger (Construc	tion),	
81.1	GAIL	India Limite	d,	
	Dorar	nda, Ranchi.		
Subje	et : Diver line p	sion of 113.49 roject in favou	947 ha of forest land for Jagdishpur-H ur of M/s GAIL (India) Limited in Jh	Ialdia-Bokaro-Dhamra gas arkhand.
Refere		rnment of Indi Ranchi - No	ia, Ministry of Environment, Forests FP/JH/Others/27162/2017/3315 Dat	& Climate Change, Regio
Sir,			11/31/ Odle13/2/10/2/2017/3515 Dat	ed 29.07.2019
of Indi	In cor a, Ministry of Enviror	ntext to subject ment, Forests	t and reference made as above follow & Climate Change, Regional Office	ving conditions by Govern
Sl. No.	Name of Project	Area of diverted forest land	Conditions laid out clearance vide MoEF& Climate Change, Regional Office letter no.FP/JH/Others/27162/2017/331 5 Dated 29.07.2019	 Shortcoming demand raised by DFO, Chatra South Forest Division.
1	2	3	4	5
	Haldia-Bokaro- Dhamra gas pipe line project in favour of M/s GAIL (India) Limited	ha. (Chatra South- 5.2673 ha.)	Legal status of forest land shall remain unchanged.	Legal status of t proposed forest land i diversion will rema unchanged.
2			Compensatory Afforestation :Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 231.193 ha. degraded forest land (Site- Barkitand, Thana-Bengabad/88, Plot No- 140,169,212,237,261; Site- Mahabank, Thana- Bengabad/132, Plot No. 2,6,418,439; Site- Dwarpahri, Thana- Gawan/70, Plot No- 8; Site- Tetariya, Thana- Gawan/173, Plot No- 29; Site- Malukchal, Thana- Gawan/84, Plot No- 9,67,115,116,123,186,187) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	 Compensatory afforestation land provided by Girid East Division. Not concerned withis division.

-

3		The cost of Compensatory Afforestation at the prevailing wages rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent Pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	
	NPV:		
(a)		The State Government shall charge the Net Present Calue (NPV) for the 113.4947 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (pt.II) dated 18.09.2003, as well as letter no. 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.	lakh/ha X 5.2673 ha. = amounts to Rupees 32,97,330.00 (Rs. Thirty two lac ninety seventhousand three hundred thirtyonly.) must be deposited by User Agency in CAMPA Account through e-portal
(b)		The State Govt. shall charge the penal Net Present Value (NPV) for violation under report vide letter No. Van Bhumi-16/2019- 2841 dated 26.07.2019, which is equal to 20% of NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to five times the NPV plus 12% simple interest till the deposits is made.	
(c)		Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged	The desired undertaking is to be submitted by the user agency.

F:\FC Act 2018\GAIL\Stage-I Demand 113.4947 ha.

	by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
6	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e- portal (https://parivesh.nic.in). The State Communication (https://parivesh.nic.in).
7	reference as prescribed under sub para (iii) and (iv) of Para 3(B) of the Ministry's letter No. 11- 42/2017-FC dated 29.01.2018.
8	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
9	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. The user agency has to comply with the guidelines and procure all certificates as desired under this condition and to be submitted in the office of undersigned
10	The pipeline shall be laid down 1.5m below the ground surface and proper leveling will be done after installation of the pipeline. The user agency has to comply this condition and an undertaking should be given in this regard to the undersigned.
11	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable. The user agency has to comply this condition and an undertaking should be given in this regard to the undersigned
12	The alignment and layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government. The user agency has to comply this condition and an undertaking should be given in this regard to the undersigned.
(a)	No labour camp shall be established on the forest land. The user agency has to comply this condition and an undertaking should be given in this regard to the undersigned.

Jux

F:\FC Act 2018\GAIL\Stage-I Demand 113.4947 ha.

(b)	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	The user agency has to comply this condition and an undertaking should be given in this regard to the undersigned.
13	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	User Agency has to construct concrete boundary pillar of four feet height along the boundary line of the diverted forest land. Pillar No, distance from pillar to pillar, backward bearing, forward bearing & GPS reading should be written on eachconcrete pillar. Concrete pillar must be constructed on each corner. If the boundary of the diverted forest land is in a straight line' concrete pillar must be constructed on every 50 meter on both side.
14		The user agency has to comply and an undertaking should be given in this regard to the undersigned.
15	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.	The user agency has to comply and an undertaking should be given in this regard to the undersigned.
16 (a)	specified in the project proposal.	The user agency has to comply and an undertaking should be given in this regard to the undersigned.
(b)	diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or	The user agency has to comply and an undertaking should be given in this regard to the undersigned.

17	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dated 29.01.2018.	comply and an undertaking should be given in this regard to the
18	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & Wildlife	comply and an undertaking should be given in this regard to the undersigned.
	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).	The user agency has to comply and an undertaking should be given in this regard to the undersigned.

Yours Faithfully,

G

Divisional Forest Officer, Chatra South Forest Division.

19

8



Office of the Divisional Forest Officer, Hazaribag West Forest Division, Van Bhawan, Hazaribag

2 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffinail.com

Letter No. 4995

Dated. 2018/19

To.

Sri Rakesh Kumar, Chief Manager (Const.). GAIL (INDIA) LIMITED, 5th, Floor, Eastern Block, MECON Head Office, Doranda, Ranchi- 834002.

- Subject: Diversion of 113.4947 ha. of forest land for Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra gas pipe line project in favour of M/s GAIL (India) Limited in Jharkhand.(Hazaribagh west Division – Area 21.7740) – regarding.
- Ref. No. Ministry of Environment, Forest & Climate Change Letter no. FP/JH/Others/27162/2017/3315 Dated. 29-07-2019 this office letter no. 4690 dated 03-08-2019, Letter no. 4881 dt. 14.08.2019 & Your letter no. 01/2019 date 08-08-2019

Sir.

As per the condition no. 4(a) & 4(b) of in principle approval

granted by MoEF & CC vide letter No. FP/JH/Others/27162/2017/3315 dated

29.07.2019. You are requeste to revised deposit NPV for 21.774 Ha. and Penal.

NPV for the violation as calculated below :-

(i) Total NPV to be demanded.

21.7740th. (Area diverted) X 626000 (density 0.4) = Rs.13630524.00

(ii) <u>Penal NPV= (a) 20% of NPV/ Ha. (for Violation in are area of</u>
 1.016 Ha.)

= 1.016 X 626000x 20/100= Rs. 127204.00.

(iii) <u>Simple interest @ 12% of Penal NPV for per month for 8</u> month of violation.

i.e. . 127204.00x 8/12 x12/100 = 10177.00 Rs.

Letter in User Agency (Gail Pape Tree fielder)

SL. No.	Compensatory levies to be demanded		Remarks
(ī)	NPV	(Rupees) 13630524.00	
(ii)	Penal NPV	127204.00	
(iii)	Simple Interest @ 12% till the deposits are made of penal NPV for 8 months.	10177,00	
(iv)	Compensatory Afforestation		To be demanded by Giridih East forest division.
-	Total -	13767905.00	

In addition to the above demand, which is to be deposited in CAMPA fund through e-portal as mentioned in condition no.(5), the other conditions are also to be complied and the same should be reported to the office of undersigned.

Your's faithfully.

Divisional Forest Officer, Hazaribagh West Division



कार्यालयः-वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल।

वन भवन-1, हजारीबाग, 825301 (झारखण्ड)

E-mail: dfo-hazaribagheast@gov.in; Telefax No. 06546-272461

पत्रांक: 2)23 दिनांक : 118/19

सेवा में,

Manager (Construction) Gail (India) Limited, 5th Floor, North Wing at Eastern Block, at Mecon Head Office Complex, Doranda, Ranchi, Jharkhand,

विषय :--Diversion of 113.4947 ha forest land for jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra gas pipe line project in favour of M/s GAIL (India) Limited in Jharkhand.

प्रसंग :-

भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय रांची का पत्रांक - FP/JH/Others/27162/2017/3315 dt. 29.07.2019 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का झापांक 872 दिनांक 30.07.2019

महाशय,

Ř:-

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयोक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा प्रथम स्तर (Stage-I) की खीकृति में लगाये गये सभी शर्तों का अनुपालन आपके स्तर से किया जाना है।

भारत सरकार द्वारा लगाये गये शर्तों की शर्तवार स्थिति निम्नवत् सुस्पष्ट की जाती

क्र.सं.	शर्त	अनुपालन
1	2	3
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged	इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
2	Compensatory afforestation: Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 231.193 ha. degraded forest land (Site- Barkitand, Thana- Bengabad/88, Plot No. 140, 169, 212, 237, 261; Site- Mehabank, Thana- Bengabad/132, Plot No. 2, 6, 418, 439; Site- Malikchal, Thana- Gawan/84, Plot No. 9, 67, 115, 116, 123, 186, 187) cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	क्षतिपूरक वनरोपण की राशि गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह के कार्यालय में अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करेंगे, जिसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाय।
3	The cost of compensatory afforestation at the at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillar if required on the C.A land shall be deposited in advance with the Forest	क्षतिपूरक वनरोपण की राशि गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह के कार्यालय में अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करेंगे, जिसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाय।

Department by the project authority. The C.A. will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	
a) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the 113.4947 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in 1.A No. 566 is WP(c) NO. 202/1995 and as per the guideline issued by the ministry vide letters no. 5- 1/1998 –FC(Pt.II) dated 18.09.2003, as well as well as letter no. 5-2/2006-FC dated- 03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated- 05.02.2009 in this regard.	बंधी प्रमाण-पत्र हरू त की जाय। जी0एस0/नेफ्ट या अन्य कसी भी परिस्थिति ने
b) The State Govt. shall charge the penal Net Present Value (NPV) for violation under report vide letter No. Van Bhumi-16/2019-	लन हेतु बचनबद्धता पत्र नर्पित किया जाए।
2841 dated- 26.07.2019, which is equal to 20% of NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to five times the NPV plus 12% simple interest till the deposits is made.	
diverted land , if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, Shall also be charged by the State Government from the user agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	
for the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (http://parivesh.nic.in/).	
The state shall restrict take actions for the violations under reference as prescribed under sub para (iii) and (iv) of Para 3(B) of the Ministry's letter No. 11-42/2017&FC dated 29.01.2018	ालन हेतु बचनबद्धता पत्र मर्पित किया जाए।

7	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
8	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	FRA Certificate समर्पित किया जाय।
9	The pipeline shall be laid down 1.5m below the ground surface and proper leveling will be done after installation of the pipeline.	इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
10	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, if applicable.	इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
11	The alignment and layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
12	 a) No labour camp shall be established on the forest land. 	इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
	 b) Sufficient firewood preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the Labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. 	इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
J ³	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	इस शर्त का अनुपालन समर्पित किया जाए।
14	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
15	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of project life.	इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
16	 a) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. 	इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
	b) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Govt. of India.	इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।

S

17	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be take as per the MoFF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC date 29,01.2018	इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
18	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest& Climate Change may stipulate from time to time the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
19	The compliance report shall be uploaded on e- portal (https://parives.nic.in/)	इस शर्त के अनुपालन हेतु बचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।

Signador- andred

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, ठाजारीवाग पूर्वी वन प्रमण्डल। (१९४१)

VD6-ApPAJITAJIT/RC AMNATURAL GAS LINELTH TO MNGR. GAR. RE COMPLIANCE.med





SAVE JHARKHAND



कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल। मोहनपुर, पोस्ट-पचम्बा, जिला-गिरिडीह, पीन कोड-815316

email-dfogir@ymail.com, Phone No.-06532-222127

दिनांक-13-08-2019 124C - aiku Senior Manager (Construction) GAIL (India) Limited, Doranda, Ranvhi-834002

- विषय Diversion of 113.4947 ha. of forest land for Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dharma gas pipe line project in f aour of M/s GAIL (India) Limited in Jharkhand
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का प्रसंग -ज्ञापांक-872 दिनांक-30.07.2019 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-2278 दि0-02.08.2019

महाशय,

सेवा,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में सूचित करना है कि विषयोक्त प्रस्ताव से संबंधित इस कार्यालय के पत्रांक-2278 दि0-02.08.2019 द्वारा निर्गत मांग पत्र के क्र0सं0-4(b) में आंशिक संशोधन की जाती है, जो निम्नवत है :--

丣0	शर्त्त	अनुपालन
1	2	3
4(b)	The state Govt. shall charge the penal Net Present value (NPV) for violation, under report vide letter no. Van Bhumi-16/2019-2841 dt.26.7.2019, which is equal to 20% of NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to five times the NPV plus 12% simple interest till the deposits is made.	इस प्रमण्डल के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में 0.6586 है0 वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंधन किया गया है। जिसका पैनल एन0पी0मी0 निम्नवत होता है :- Area-0.6586 x 626000 = 412283.60 निर्धारित पैनल एन0पी0मी0 का 20% = 82456.72 174 दिन का 12% सूद की राशि – <u>= 4716.98</u> Total - 87173.70 कुल – 87173.70 रूपये पैनल एन0पी0मी0 मद में झारखण्ड के कैम्पा एकाउन्ट e-portal ऑन-लाईन चालान जेनरेट कराते हुए चालान के माध्यम से उक्त राशि जमा किया जाय तथा राशि जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र इस कार्यालय में समर्पित की जाय। मोट-आर0टी0जी0एस0/ नेपट या अन्य किसी माध्यम से किसी भी परिस्थिति में राशि का अन्तरण नहीं किया जाय।

इस कार्यालय के पत्रांक-2278 दि0-02.08.2019 में उल्लेलिखत अन्य बिन्दु यथावत रहेंगे।

Calculation correction of Violation area.

वन प्रमण्ड पदाधिकारी गिरिडीह पूर्वी येन प्रमण्डल।

E//FCA-29,Letter 2019/,Demand letter/Sr. Manager Gall Jagdishpur-Haldia-2.doc







कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

मोहनपुर, पोस्ट–पचम्बा, जिला–गिरिडीह, पीन कोड–815316 email-dfogir@ymail.com, Phone No.-06532-222127

पत्रांक- 2278 दिनांक- 02-08-2019

Senior Manager (Construction) GAIL (India) Limited, Doranda, Ranvhi-834002

- विषय Diversion of 113.4947 ha. of forest land for Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dharma gas plpe line project in f aour of M/s GAIL (India) Limited in Jharkhand
- प्रसंग प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक–872 दिनांक–30.07.2019

महाशय,

सेवा.

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में सूचित करना है कि विषयोक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा प्रथम स्तर (Stage-I) की स्वीकृति में लगाये गये शत्तों का अनुपालन किया जाना है।

भारत सरकार द्वारा लगाये शत्तों की शर्त्तवार स्थिति निम्नवत सुस्पष्ट की जाती है :--

Φ 0	शर्त्त	अनुपालन
1	2	3
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged	इस शर्त्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पन्न (Undertaking) समर्पित किया जाए।
2.	Compensatory afforestation : Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 231.193 ha. degraded forest land (Site- Barkitand, Thana-Bengabad/88] plot no.140,169, 212,237,261; Site- Mehabank, Thana&Bengabad/132, plot no. 2,6,418,439; Site- Dwarpahri, Thana- Gawan/70, plot no.8; Site- Tetariya, Thana-Gawan/173, plot no.29; site-Malukchal, Thana7gawan/84, plot no.9, 67,115,116,123,186,187) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	विभागीय प्रक्रियानुसार अनुपालन की जायगी।
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the C.A land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	इस शर्त्त के अनुपालन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड राँची के कार्यालय आदेश सं0–23 ज्ञापांक–781 दि0–19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका (15 प्रतिशत वार्षिक मजदूरी दर में वृद्धि करते हुये एवं 18 प्रतिशत जीoएसoटीo सहित) के अनुसार विषयक परियोजना में अपयोजित होने वाले 113.4947 हेo वन भूमि के दोगुणे अवकृष्ट वन भूमि 231.193 हेo पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु कुल रू0–46302199.00 (चार करोड़ तीरसठ लाख दो हजार एक सौ निनानबे) रूपये होते हैं। (प्राक्कलन संलग्न अनु0–1)

E///CA-2/Letter 2019/Demand letter/Sr. Manager Gall Jagfichpen Holdia.doc.doc

		झारखण्ड के कैम्पा एकाउन्ट e-portal पर ऑन–लाईन चालान जेनरेट कराते हुए चालान के माध्यम से उक्त राशि जमा किया जाय तथा राशि जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र इस कार्यालय में समर्पित की जाय। क्षतिपूरक वनरोपण के लिए प्रस्तावित वन भूमि बड़कीटांड पी0एफ0, थाना– बेंगाबाद, थाना न0–88 में पीलर की सं0–171, मेहाबांक पी0एफ0, थाना– बेंगाबाद, थाना न0–132 में पीलर की सं0–57, द्वारापहरी पी0एफ0, थाना–गावां, थाना न0–70 में पीलर की सं0–26, तिलैया (तेतरिया) पी0एफ0, थाना– गावां, थाना न0–173 में पीलर की सं0–122, मलुकचल पी0एफ0, थाना– गावां, थाना न0–84 में पीलर की सं0–125 कुल–501 पीलर के लिए रू0– 4337.00 प्रति पीलर के दर कुल–2172837.00 (इक्कीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ सैतीस) रूपये होते हैं। (प्राक्कलन संलग्न अनु0–2) झारखण्ड के कैम्पा एकाउन्ट e-portal पर ऑन–लाईन चालान जेनरेट कराते हुए चालान के माध्यम से उक्त राशि जमा किया जाय तथा राशि जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र इस कार्यालय में समर्पित की जाय। नोट–आर0टी0जी0एस0/ नेफ्ट या अन्य किसी माध्यम से किसी भी परिस्थिति में राशि का अन्तरण नहीं किया जाय।
4.	 N.P.V : a) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 113494 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in I.A No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters no. 5-1/1998-FC(Pt.II) dated 18-09-2003, as well as letter no. 5-2/2006-FC dated- 03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 05-02-2009 in this regard. 	के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में अपयोजित होने वाले वनभूमि
	b) The state Govt. shall charge the penal Net Present value (NPV) for violation, under report vide letter no. Van Bhumi-16/2019-2841 dt.26.7.2019, which is equal to 20% of NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to five times the NPV plus 12% simple interest till the deposits is made.	इस प्रमण्डल के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में 0.6586 हे0 वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। जिसका पैनल एन0पी0मी0 निम्नवत होता है :- Area-0.6586 x 626000 = 412283.60 निर्धारित पैनल एन0पी0मी0 का 20% = 82456.72 174 दिन का 12% सूद की राशि – <u>= 4716.98</u> Total - 499457.30

E1/FCA-2Uetter 2019/Demand letter/Sr. Manager Gall Tagdishpur-Haldia.doc.doc

R

		कुल – 499457.30 रूपये पैनल एन0पी0मी0 मद में झारखण्ड के कैम्पा एकाउन्ट e-portal ऑन–लाईन चालान जेनरेट कराते हुए चालान के माध्यम से उक्त राशि जमा किया जाय तथा राशि जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र इस कार्यालय में समर्पित की जाय। नोट–आर0टी0जी0एस0/ नेफ्ट या अन्य किसी माध्यम से किसी भी परिस्थिति में राशि का अन्तरण नहीं किया जाय।
	c) Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	इस शर्त्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
5.	All the funds received f rom the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	इस शर्त्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
6.	The State Government shall take actions for the violations under reference as prescribed under sub- area (iii) and (iv) of para 3(B) of the Ministry's letter no. 11-42/2017-FC dated 29-01-2018	
7.	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस शर्त्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
8.	The complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	F.R.A. निर्धारित प्रपत्र में समर्पित किया जाए।
9.	The Pipe line shall be laid down 1.5 m below the ground surface and proper leveling will be done after installation of the pipeline.	इस शत्ते के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
10.	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (protection) Act, 1986, if applicable.	इस शर्त्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
11.	The alignment layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस शर्त्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
12.	 (a) No labour camp shall be established on the forest land. (b) Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the laborers after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. 	इस शर्त्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।

E-VCA-2/Letter 2019/Demand letter/Sr. Manager Gall Jagdishpor-Haldia.doc.doc

D

गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल

दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण योजना का प्रस्ताव योजना का नाम-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना

	स्पल व्य नाम रकबा कुल पौधों की संo	वडकीटांश 55.305 92138 249.83	हे0 पौचे ⁄मा०दि०			थाना न0- पौधों की दूरी–	बेगाबाद 88 (3 मी0 X 2 मी) 140,169,212,2 5 चेन	and the second of the second s	
9 00	कार्य की विवरणी	निर्धारित दर प्रति हे0				प्राक्कलित राशि	कुल रात्रि	अभ्युक्ति	
40	काच का विवरणा	इकाई	मा०दि०	सामग्री (स्व)	कुल मा0दि0	मजदूरी (स0)	सामग्री (रू०)	લુલ પાસ	जान्युपित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(事)	अग्निम कार्य (प्रथम वर्ष)								
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	ĝO	3.00	0.00	165.92	41450.54	0.00	41450.54	
2	झाठी सफाई				THEY'S				
2.1	झाड़ी रहित	<u></u> \$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	सामान्य झाठी	ĝo	7.00	0.00	387.14	96717.94	0.00	96717.94	
2.3	धनी झाढी	<u></u> ؤ0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	घेरान कार्य								_
3.1	ट्रेंच घेरान उपर की चौढ़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	चेन	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंघ खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दि0–1.4.2014 से लागू का आईटम सं0–7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर) 18% GSTसहित (245 चेन)	चेन	2.00	2317.27	490.00	122416.70	567731.69	690148.39	
3.3	पत्थर घेरान-उपर की चौढ़ाई 0.30 मी. नीचे की चौड़ाई 1. 25 मी. जेंचाई 1.00 मी.	चेन	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.4	झाड़ी घेरान (50 चेन)	चेन	6.00	25.00	300.00	74949.00	1250.00	76199.00	
4	मूदा कार्य (03 मी.x 0.3 मी.x 0.3 मी.)1886 पीट प्रति हे0 (संरेखन एवं मुदा प्रोफाईल पिट सहित)	90	38.50	0.00	2018.63	504314.96	0.00	504314.96	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	90	16.50	0.00	912.53	227977.99	0.00	227977.99	
6	सामग्री (पॉलीथी थैली, बीज, उर्बरक, खाद, रसायन, मिट्टी, पुआल, पौधशाला तथा घेरान सामिग्री आदि <mark>) GST 18% सहित</mark>	ŝo	0.00	4707.02	0.00	0.00	260321.74	260321.74	
7	मुदा एवं जल संरक्षण कार्य– कंदूर ट्रेंबिंग–90, कंदूर ट्रेंच साईज–5मी0 x 0.30 मी0 x 0.3 मी0 का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी0 से 3 मी0 हो लथा इकी मिट्टी का बाल पर 0.15 मी0 हट कर 0.30 मी0 की चौड़ाई में 0. 15 मी0 गहरा कोड़नी कर रखा जाना	οś	55.00	0.00	3041.78	769926.65	0.00	759926.65	
8	सिल्ट डिटेन्शन ढेम, चेक ढेम, रिटेनिंग एवं ड्रेस्ट वाल, टो याल, स्पर एवं टॅरिण्ट नियंत्रण कार्य आदि	ĝo	25.00	0.00	1382.63	345421.20	0.00	345421.20	
9	गली प्लयिंग	90	10.00	0.00	553.05	138168.48	0.00	138168.48	
10	विविध कार्य (छायांकन, साईनबोर्ड, प्रयार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	90	0.00	150.00	0.00	0.00	8295.75	8295.75	
	योग-		211.00	7199.29	8251.67	2311343.47	837599.18	3148942.65	1000
11	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय वी जायगी)	90				612315.72		762350.91	
	प्रथम वर्ष का संखल गोग-	1	211.00	7199.29	9251.67	2923659.19	987634.37	3911293.66	

D

1

13.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	इस शर्त्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
14.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस शत्ती के अनुपालन हेतु यचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
15.	The period of diversion under this approval shall be co- terminus with the period of the project life.	इस शर्त्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
16.	 (a) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. (b) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Govt. of India. 	इस शर्त्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
17.	Vocation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt. 29-01-2018.	इस शर्त्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
18.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	इस शर्त्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
19.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parives.nic.in/).	इस शर्त्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।

अतः अनुरोध है कि सभी शर्त्तों का शर्त्तवार अनुपालन प्रतिवेदन 10 (दस) प्रतियों में यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाये, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वसभाजन वन प्रमण्डले प्रक्षिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

E/UCA-2)Letter 2019/Demand letter/Sr. Manager Gall Jagdishpur-Haldia.doc.doc

60	कार्य की दिवरणी	P	ावरित दर	प्रति हे0		प्राक्कलित राशि			2 अभ्युक्ति
	101 01 1011-0	इकाई	मा0रि0	सामग्री (ल0)	ন্থুন দাচাইি০	मजदूरी (रू०)	सामग्री (रू०)	कुल राशि	अभ्युक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(a)	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर-249.83	the second second second		_		দ্ববি সাচাইত	1		
1	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	80	21.50	0,00	1189.06	341616.22	0.00	341616.22	
2	वृक्षारोपण दो कोढनी एवं निकौनी	80	36.50	0.00	2018.63	579953.12	0.00	579953.12	
3		<u>ड</u> े0	41.50	0.00	2295,18	659398.75	0.00	659398.75	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीजारोपण	80	2.00	0.00	110.61	31778.25	0.00	31778.25	
5	पौधों की सुरक्षा	-							
5.1	30 हें0 तक	स्थल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2	30 हे0 से अधिक	स्थल	550.00	0.00	550.00	158015.00	0.00	158015.00	
6	सामग्री (, बीज, उर्बरक, खाद, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0∕यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) <mark>GST 18%</mark> <mark>सहित</mark>	ŝo	0.00	2790.70	0.00	0.00	154339.66	154339.68	
7	विकिंध कार्य (सायांकन, साईनबोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	\$ 0	0.00	150.00	0.00	0.00	8295.75	8295.75	
	कुल:-		651.50	2940.70	6163.46	1770761.34	162635.41	1933396.75	
(ग)	संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर–287.30	का 16%	बढ़ाकर	=	345.40	प्रति मार्शरेक			
1	एक कोड़नी निकौनी	80	23.00	0.00	1272.02	439353.98	0.00	439353.98	1
2	सामग्री (, बीज, उर्बरक, खाद, डी०ए७पी०/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) <mark>GST 18% सहित</mark>	\$0	0.00	2233.03	0.00	0.00	123497.72	123497.72	
3	पौधों की सुरक्षा								
3.1	30 है0 लक	रधल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3.2	30 हे0 से अधिक	रथल	730.00	0.00	730.00	252142.00			
4	गढ्वा घेरान मरम्मति (295 चेन)	रंपल चेन	1.00				0.00	252142.00	
-	गङ्ग येपा गरमात (206 मन) मृत पीपों का प्रतिस्थापन		-	0.00	295.00	101893.00	0.00	101893.00	
5		đo	3.00	290.00	165.92	57307.04	16038.45	73345.49	_
(m)	कुल:-		757.00	2523.03	2462.93	850696.02	139536.17	990232.20	
(ष) 1	संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)मजदूरी दर-345.40 एक कोडनी निकौनी	_	-	-	397.21	प्रति गाठदिव	_		
1		80	23.00	0.00	1272.02	505257.08	0.00	505257.08	_
2	सामग्री (, बीज, उर्बरक, खाद, डी0५०पी0/पूरिया, जेविक खाद कीटनाशक आदि) <mark>GST 18% सहित</mark>	έo	0.00	1534.00	0.00	0.00	84837.87	84837.87	
3	पौधों की सुरक्षा		11	-					
3.1	30 है0 तक	स्थल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	30 डे0 से अधिक	स्थल	730.00	0,00	730.00	289963.30	0.00	289963.30	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	đo	3.00	290.00	165.92	65903.10	16038.45	81941.55	
-	कुल:		756.00	1824.00	2167.93	861123.48	100876.32	961999.80	
₹.	संधोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर-397.21	का 15%	बदाकर		456.79	प्रति माठदिठ			
	एक कोडनी निकौनी	ট 0	23.00	0.00	1272.02	581043.73	0.00	581043.73	
2	सामग्री (बीज,उर्बरक, कम्प्रोस्ट खाद, डीठएठपीठ, यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि) <mark>GST 18% स</mark> हित	ф	0.00	590.00	0.00	0.00	32629.95	32629.95	
3	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	0.00	365.00	166728.35	0.00	166728.35	-
4	घेरान की गरम्मती (295 चेन)	धेन	1.00	0.00	295.00				144
	केल:-	4-1	389.00			134753.05	0.00	134753.05	
(च)	खुल	ThT 400		510.00	1932.02	882525.13	32629.95	915155.08	1000
0.00	पोधी की सुरक्षा		1.200.000		625.31	प्रति माठदित			
1		स्थल	365,00	0.00	365.00	191738.15	0.00	191738.15	_
	कुल:	COM	365.00	0.00	365.00	191738.15	0.00	191738.15	
(B)	संपोषण कार्य <mark>(सप्तम वर्ष</mark>) मजदूरी दर-525.31	का 157	६ बढाकर	=	604.11	प्रति गाठदिव			
1	पौधों की सुरक्षा कल	स्थल	365.00	0.00		220500.15		220500.15	
	कुत:		365.00	0.00	365.00	220500.15	0.00	220500.15	120
<u>(ज)</u>	संपोषण कार्य (अष्टन वर्ष) भजवूरी दर-604.11	ФT 155	४ बढ़ाकर	1	694.74	प्रति माठदित			_
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	0.00	365.00	253580.10	0.00	253580.10	
	कुल:-		365.00	0.00	385.00	253580.10	0.00	253580.10	

O

3 00	कार्य की विवरणी	निर्धारित दर प्रति है0				प्रायकतित राशि		3	
- wu		इकाई	मार्णदेव	सामग्री (रू०)	कुल माठविठ	मजदूरी (स0)	सामझी (स्व)	बुल रामि	ॲम्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(s)	संपोषण कार्य (नवम् वर्ष) मजदूरी दर-694.74	का 15%	बढाकर :	=	798.95	प्रति मा०वि०			
1	मौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	0.00	365.00	291616.75	0.60	291616.75	
	कुल:		365.00	0.00	365.00	291616.75	0.00	291616.75	
(8)	त्तंपोषण कार्य (दशम् वर्ष) दर- 798.85 का	15% 4	वाकर =	-	918.79	দ্বন্ধি নাচবিচ			
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	0.00	385.00	335358.35	0.00	335358.35	
	गुल:-	-	365.00	0.00	365.00	335358.35	0.00	335358.35	
1.1	सकल योग		4589.60	15077.02	23803.00	8581558.66	1423312.23	10004870.88	and the second

10	कार्य वर्ष	दरा वर्ष	यि योजना की	लागत		E.P.A की राशि		। योजना की कुल	न लागत	1000
-	काय वय	मजदूरी	सामग्री	कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	अग्निम कार्य प्रथम वर्ष	2311343.47	837599.18	3148942.65	612315.72	150035.19	762350.91	2923659.19	987634.37	3911293.56
2	समापन कार्य द्वितीय वर्ष	1770761.34	162635.41	1933396.75	0.00	0.00	0.00	1770761.34	162635.41	1933396.75
3	संपोषण कार्य तृतीय वर्ष	850696.02	139536.17	990232.20	0.00	0.00	0.00	850695.02	139536.17	990232.20
4	संपोषण कार्य चतुर्थ वर्ष	861123.48	100876.32	961999.80	0.00	0.00	0.00	851123.48	100876.32	961999.80
5	संपोषण कार्य पंचम वर्ष	882525.13	32629.95	915155.08	0.00	0.00	0.00	882525.13	32629.95	915155.08
6	संपोषण कार्य बष्टम वर्ष	191738.15	0.00	191738.15	0.00	0.00	0.00	191738.15	0.00	191738.15
7	संपोषण कार्य सप्तम वर्ष	220500.15	0.00	220500.15	0.00	0.00	0.00	220500.15	0.00	220500.15
	संपोषण कार्य अष्टम वर्ष	253580.10	0.00	253580.10	0.00	0.00	0.00	253580.10	0.00	253580.10
9	संपोषण कार्य नवम वर्ष	291616.75	0.00	291616.75	0.00	0.00	0.00	291616.75	0.00	291616.75
10	संपोषण कार्य दत्सम वर्ष	335358.35	0.00	335358.35	0.00	0.00	0.00	335358.35	0.00	335358.35
	सकल योग –	7969242.94	1273277.04	9242519.97	612315.72	150035.19	762350.91	8581558.66	1423312.23	10004870.88
									or say Rs.	10004871.00

सारांश

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रौषी के कार्यालय आदेश सं0–03 झापांक–781 दिनांक–19.08.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका पर आधारित हैं। वर्त्तमान मजदूरी दर में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष एवं सामग्री में 18% GST सम्मिलित कर प्राक्कलन तैयार किया गया है।

वन प्रमण्डल तिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

8

GST included in this for Br. 2,05,287.7622/-.



गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल

दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण योजना का प्रस्ताव योजना का नाम-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना

3	स्थल का नाम २	॥वां वन ग्रारपहरी 30.493				थाना गावां थाना न0- 70 पौघों की दूरी (3 मीo X 2 मीo)			
		50801	पौधे			फ़ौट न0- ।	в		
		249.83	/मा0दि0			ट्रेव धेरान- 225	चेन		
_		मि	मारित वर उ	रति हे0		प्राक्कलित राशि		कुल राशि	अभ्युक्ति
क0	कार्य की विवरणी	इकाई	मा0दि0	सामग्री (स0)	कुल मा0वि0	मजदूरी (रू0)	सामग्री (स्व0)	See ora	anglaci
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(क)	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)						-		_
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	90	3.00	0.00	91.48	22854.20	0.00	22854.20	
2	झाठी राफाई								
2.1	झाड़ी चहित	<u></u> \$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	सामान्य झाडी	96	7.00	0.00	213.45	53326.46	0.00	53326.46	
2.3	धनी झाढी	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	धेरान कार्य								
3.1	ट्रेंच घेरान उपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	चेन	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खुवाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विमाग की अनुसुचित दर सूची दि0–1.4.2014 से लागू का आईटम सं0–7.1.43.1 से 9.1 प्रतिष्ठत संवेदक लाभ घटाकर दर) 18% GSTसहित (225 चेन)	चेन	2.00	2317.27	450.00	112423.50	521306.25	633809.75	
3.3	पत्थर घेरान—उपर की चौडाई 0.30 मी. नीचे की चौड़ाई 1. 25 मी. ऊँचाई 1.00 मी.	चेन	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.4	झाड़ी घेरान (चैन)	चेन	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	मृदा कार्य (03 मी.x 0.3 मी.x 0.3 मी.)1666 पीट प्रति हे0 (सरेखन एवं मृदा प्रोकाईल पिट सहित)	98	36.50	0.00	1112.99	278059.42	0.00	278059.42	
5	अंश पीधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	<u></u> \$0	16.50	0.00	503.13	125698.09	0.00	125698.09	
6	सामग्री (पॉलीथी थैली, बीज, उर्बरक, खाद, रसायन, निष्टी, पुआल, पौधशाला तथा घेरान सामिग्री आदि) <mark>GST 18% स</mark> हित	<u>ŝ</u> 0	0.00	4707.00	0.00	0.00	143531.16	143531.18	
7	मुदा एवं जल संरक्षण कार्य– कंटूर ट्रेंचिंग–90, कंटूर ट्रेंच साईज–5मी0 x 0.30 मी0 x 0.3 मी0 का खोवा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी0 से 3 मी0 हो तथा इकी मिट्टी का ढाल पर 0.15 मी0 हट कर 0.30 मी0 की चौड़ाई में 0. 15 मी0 गहरा कोढ़नी कर रखा जाना	ĝo	66.00	0.00	1677.12	418993.64	0.00	418993.64	
8	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं डेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि	80	25.00	0.0	762.33	190451.65	0.00	190451.65	<u>+</u>
9	गली प्लगिंग	<u></u> \$0	10.00	0.0	0 304.93	76180.66	8 0.00	76180.66	
10	विविध कार्य (छायांकंन, साईनबोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एव संकलन आदि)	ĝo	0.00	150.0	0 0.00	0.0	4573.95	4573.95	
	योग-		211.00	7174.29	5115.43	1277957.63	669491.36	1947478.98	
11	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जायगी)	\$0				348781.12	113874.32	462655.44	
F	प्रथम दर्थ का सकल योग-		211:00	7174.29	\$115.43	1626768.75	783365.67	2410134.42	

200

M

- I		नि	बरित दर	प्रति है0		प्राक्कलित राशि			2
80	कार्य की विवरणी	इकाई	मातरित	सामग्री (स्व)	कुल माठविठ	मजदूरी (स0)	सामग्री (स0)	कुल रांशि	2 अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ब)	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर-249.83	का 15%	: बढ़ाकर	=	287.30	দ্বনি নাচবিচ			
1	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	ह 0	21.50	0.00	655,60	188353.74	0.00	188353.74	_
2	वृक्षारोपण	8 0	36.50	0.00	1112.99	319763.32	0.00	319763.32	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	8 0	41.50	0.00	1265.46	363566.51	0,00	363566.51	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेत्तन हेतु बीजारोपण	<u>ड</u> े0	2.00	0.00	60.99	17521.28	0.00	17521.28	
5	पौधों की सुरक्षा	2 3			-			-	
5.1	30 है0 तक	स्थल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2	30 हे0 से अधिक	स्थल	550.00	0.00	550.00	158015.00	0.00	158015.00	
6	सामग्री (, बीज, उर्बरक, खाद, कम्पोस्ट खाद, डी0९०पी0∕यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) <mark>GST 18%</mark> <mark>सहित</mark>	ŝ0	0.00	2790.70	0.00	0.00	85096.82	85095.82	
7	विविध कार्य (छायांकंन, साईनबोर्थ, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	đđ	0.00	150.00	0.00	0.00	4573.95	4573.95	
	कुल:-		651.50	2940.70	3645.04	1047219.85	89670.77	1136590.61	
(ग)	संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर-287.30	का 15%	(बढ़ाकर	=	345.40	प्रति माठविठ			
1	एक कोड़नी निकौनी	酌	23.00	0.00	701.34	242242.49	0.00	242242.49	
2	सामग्री (, बीज, उर्बरक, खाद, डी0ए०पी0/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) <mark>GST 18% सहित</mark>	Ê0	0.00	2233.03	0.00	0.00	68091.78	68091.78	
3	पौधों की सुरक्षा	18	1000					-	
3.1	30 हे0 तक	स्थल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	_
3.2	30 हे0 से अधिक	स्थल	730.00	0.00	730.00	252142.00	0.00	252142.00	
4	गढवा घेरान गरम्मति (225 चेन)	चेन	1.00	0.00		77715.00		77715.00	
5	मृत पीधों का प्रतिस्थापन	RO	3.00	290.00		31596.85	8542.97	40439.82	
3	र्यतान्त	20	757.00	2523.03	1747.82	603696.34	76934.75	680631.09	
(q)	खुलः− संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)मजदरी दर-345.40	西 16%	and the second sec	and the second s	397.21	प्रति माठदिव	10534.78	600631.09	an and a
1	एक कोडनी निकौनी	80	23.00	0.00		278578.86	0.00	278578.86	
2	सामग्री (, बीज, उर्बरक, खाद, डी०१०पी०/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित	80	0.00	1534.00	0.00	0.00	46776.26	46776.25	
3	पौधों की सुरक्षा								
3.1	30 है0 तक	रधल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	30 हे0 से अधिक	रधल	730.00	0.00		289963.30		289953.30	-
1.1	मुल यौधों का प्रतिख्यापन			-	-	-			-
4		60	3.00	290.00		36336.37		45179.34	_
-	कूल: संयोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजवूरी दर397.21		756.00	1824.00	1522.82	604878.54	65619.23	660497.77	
Ξ.		1	1	1	456.79	গ্রনি শাববির			
1	एक कोइनी निकौनी	60	23.00	0.00	701.34	320364.64	0.00	320364.64	
2	सामग्री (बीज,उबेरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पीठ, यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि) <mark>GST 18% सहित</mark>	80	0.00	590.00	0.00	0.00	17990.87	17990.87	
3	पीधों की सुरक्षा	त्त्वल	365.00	0.00	365.00	166728.35	0.00	166728.35	
4	घेरान की मरम्मती (225 चेन)	चेन	1.00	0.0	225.00	102777.75	0.00	102777.75	
	कुल:		389.00	a state of the state of the state	1291.34	589870.74	17990.87	607861.61	
(च)	संपोषण कार्य (षष्टम वर्ष) मजदूरी दर-456.79	কা 15	% बढ़ाकर	=	525.31	प्रति माठविठ	Service -		-
1	पीयों की सुरक्षा	स्थल	365.00	0.0	365.00	191738.15	0.00	191738.15	
	হল:		365.00		365.00	191738.10		191738.15	
-		1 767 16			604.11	গ্রনি মাচবিত	0.00	1911-00.10	
(m)									
(B) 1	रापायम् काथ (रायम् यम्) नजपुरा ५२-३८३.३१ पौधों की सुरक्षा	रथल	365.00	1		220500.15	0.00	220500.15	

(

-	कार्य की विवरणी	F	र्षारित बर	प्रति हे0		प्राक्कलित राशि		काल प्रापित	3 अभ्युफित
9ē0	काव का विवरणा	इकाई	मा0वि0	सामग्री (रू०)	कुल मा0बि0	मजदूरी (रू0)	सामग्री (रू0)	कुल राशि	anglag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(न)	संपोषण कार्य (अष्टम वर्ष) मजवूरी दर-604.11	का 157	४ बढाकर	=	694.74	प्रति मावन्दिक			
1	पौधों की सुरक्षा	ख्यल	365.00	0.00	365.00	253580.10	0.00	253580.10	
	कुल:		365.00	0.00	365.00	253580.10	0.00	253580.10	1000
(झ)	संपोषण कार्य (नवम् वर्ष) मजदूरी दर-694.74	का 15%	बढ़ाकर		798.95	प्रति माठविठ			
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	0.00	365.00	291616.75	0.00	291616.75	
1	कुल:-	19 (s	365.00	0.00	365.00	291616.75	0.00	291616.75	-
(8)	संपोषण कार्य (दशम् वर्ष) दर- 798.95 क	T 15% 3	दाकर =		918.79	দ্বন্থি শাচবিচ			
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	0,00	365.00	335358.35	0.00	335358.35	
5 M.S.	कुल>-	1	365.00	0.00	365.00	335358.35	0.00	336358.35	0.2011
	सकल योग -	dente al	4589.50	15052.02	15147.44	5765227.71	1023581.29	6788809.01	12,8,754

सारांश

_	कार्य वर्ष	दस वर्षी	य योजना की	लागत	1	E.P.A की राशि		। योजना की कुल	न लागत	कुल
4 0	काल वेश्र	मजदूरी	सामग्री	कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल	मजदूरी	सामग्री	વુલ
1	अग्रिम कार्य प्रथम वर्ष	1277987.63	669491.36	1947478.98	348781.12	113874.32	462655.44	1626768.75	783365.67	2410134.42
2	समापन कार्य द्वितीय वर्ष	1047219.85	89670.77	1136890.61	0.00	0.00	0.00	1047219.85	89670.77	1136890.61
3	संपोषण कार्य तृतीय वर्ष	603696.34	76934.75	680631.09	0.00	0.00	0.00	603696.34	76934.75	680631.09
4	संपोषण कार्य चतुर्थ वर्ष	604878.54	55619.23	660497.77	0.00	0.00	0.00	604878.54	55619.23	660497.77
5	संपोषन कार्य पंचम वर्ष	589870.74	17990.87	607861.61	0.00	0.00	0.00	589870.74	17990.87	607861.61
6	संपोषण कार्य षष्टम वर्ष	191738.15	0.00	191738.15	0.00	0.00	0.00	191738.15	0.00	191738.15
7	संपोषण कार्य सप्तम वर्ष	220500.15	0.00	220500.15	0.00	0.00	0.00	220500.15	0.00	220500.15
8	संपोषण कार्य अष्टम वर्ष	253580.10	0.00	253580.10	0.00	0.00	0.00	253580.10	0.00	253580.10
9	संपोषण कार्य नवम वर्ष	291616.75	0.00	291616.75	0.00	0.00	0.00	291616.75	0.00	291616.75
10	संपोषण कार्य दसम वर्ष	335358.35	0.00	335358.35	0.00	0.00	0.00	335358.35	0.00	335358.35
	सकल योग -	5416446.59	909706.98	6326153.57	348781.12	113874.32	462655.44	5765227.71	1023581.29	6788809.01
	Contraction and the	and the second se			and the second se	and the second se	A COMPANY PROPERTY.	a subscription of the subs	or cau Be	6799900 00

or say Rs. 6788809.00

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रधान मुख्य यन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं0–03 ज्ञापांक–781 दिनांक–19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका पर आधारित हैं। वर्त्तमान मजदूरी दर में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष एवं सामग्री में 18% GST सम्मिलित कर प्राक्कलन तैयार किया गया है।

वन प्रमण्डल गिरिडीड पूर्वी वन प्रमण्डल।

GST included in this bill for Rs. 1,51,824.9112/-



गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल

दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण योजना का प्रस्ताव योजना का नाम-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना

নৈ ব	त्र नाम स्थल का नाम एकबा कुल पौधों की संo मजदूरी दर	0.000000000	हे0 वीचे ⁄मा0वि0			धाना न0- पौर्पो की दूरी प्लौट न0- ट्रेंच पेरान- 600	यायां 84 (3 मी0 X 2 मी 9,67,115,116,) चेन		
30	कार्य की विवरणी		ार्थारित दर माठदिठ	प्रति हे0 सामग्री (रू०)	T molto	प्राक्कलित राशि प्रान्कलित राशि	(and)	कुल राशि	अभ्युक्ति
1	2	इफाई 3	410190	(44) 5	कुल मा0वि0 6	मजदूरी (स्व) 7	सामग्री (स्व0) 8	9	10
(क)	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)	2				-			
1	सर्वेधन एवं सीमांकन	<u></u> \$0	3.00	0.00	187.86	46933.81	0.00	46933,81	
2	झाढ़ी सफाई								-
2.1	झाढी रहित	ţ0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	सामान्य झाढी	<u></u> \$0	7.00	0.00	438.35	109512.23	0.00	109512.23	
2.3	पनी झाड़ी	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	घेरान कार्य								
3.1	ट्रेंच घेरान उपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	वेन	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विमाग की अनुसूचित दर सूची दि0–1.4.2014 से लागू का आईटम सं0–7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाम घटाकर दर) 18% GSTसहित (600 चेन)	चेन	2.00	2317.27	1200.00	299796.00	1390363.32	1690159.32	
3.3	पत्थर घेरान—उपर की चौड़ाई 0.30 मी. नीचे की चौड़ाई 1. 25 मी. ऊँचाई 1.00 मी.	घेन	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.4	झाड़ी घेरान (चेन)	चेन	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	मुदा कार्य (03 मी.x 0.3 मी.x 0.3 मी.)1686 पीट प्रति हे0 (संरेखन एवं मुदा प्रोफाईल पिट सहित)	90	38.50	0.00	2285.67	571028.05	0.00	571028.05	
5	अंश पौपशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	ŝo	16.50	0.00	1033.25	258135.97	0.00	258135.97	
6	सामग्री (पॉलीबी बैली, बीज, उर्बरक, खाद, रसायन, मिट्टी, पुआल, पीधशाला तथा घेरान सामिग्री आदि) GST 18% सहित	ĝo	0.00	4707.02	0.00	0.00	294768.30	294758.30	
7	मुदा एवं जल संरक्षण कार्य- कंटूर ट्रेविंग-90, कंटूर ट्रेव साईज-5मी0 X 0.30 मी0 X 0.3 मी0 का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी0 से 3 मी0 हो तथा इकी मिट्टी का दाल पर 0.15 मी0 हट कर 0.30 मी0 की चौड़ाई में 0. 15 मी0 गहरा कोड़नी कर रखा जाना	80	55.00	0.00	3444.16	860453.24	0.00	860453.24	
8	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि	ito.	25.00	0.00	1565.53	391115.11	0.00	391115,11	
9	गली प्लगिंग	iş0	10.00	0.00	626.21	156446.04	0.00	156446.04	
10	विविध कार्य (छायांकन, साईनबोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	80	0.00	150.00	0.00	0.00	9393.15	9393.15	
	योग-		211.00	7174.29	10781.01	2693420.48	1694514.77	4387935.25	140
11	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत शशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जायगी)	90				701628.50	281799.65	983428.15	
	प्रथम वर्ष का सकल बोग-		211.00	7174.29	10781.01	3396048.98	1976314.42	6371363.40	

E/(Estimate-D/Compensatory)(18-18 C

10.4

-	and all Darrest	শি	पॉरित दर :	त्रति हे0		प्राक्कतित राशि		and alle	2
0	कार्य की विवरणी	इकाई	मार्गदेव	सामग्री (२००)	कुल माठदिए	मजदूरी (स0)	सामग्री (रू०)	कुल राशि	अ म्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ब)	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर-249.83	 	बदाकर :	=	287.30	দ্বনি নাচবিচ			
1	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	80	21.50	0.00	1346.35	386806.79	0.00	386805.79	
2	वृक्षारोपण	हेव	36.50	0.00	2285.67	656671.99	0.00	656671.99	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	80	41.50	0.00	2598.77	746627.05	0.00	746827.05	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीजारोपण	80	2.00	0.00	125.24	35982.03	0.00	35982.03	_
5	पौधों की सुरक्षा	1						-	1000
5.1	30 हे0 तक	स्थल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2	30 हे0 से अधिक	स्थल	550.00	0.00	550.00	158015.00	0.00	158015.00	
6	सामग्री (, बीज, ऊर्बरक, खाद, कम्पोस्ट खाद, डी०९०पी०∕यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) <mark>GST 18%</mark> <mark>सहित</mark>	έο	0.00	2790.70	0.00	0.00	174756.42	174756.42	
7	विकिंध कार्य (छायांकंन, साईनबोर्ड, प्रचार प्रसार, मुदण एवं संकलन आदि)	हे 0	0.00	150.00	0.00	0.00	9393.15	9393.15	
	कुल:-		651.50	2940.70	6906.03	1984102.85	184149.57	2168262.42	
(ग)	संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर-287.30	_	बढ़ाकर		345.40	प्रति मात्रदित			
1	एक कोड़नी निकौनी	诸 0	23.00	0.00	1440.28	497473.75	0.00	497473.75	_
2	सामग्री (, बीज, उर्बरक, खाद, डी00,040/ वूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित	đо	0.00	2233.03	0.00	0.00	139834.57	139834.57	
3	पौधों की सुरक्षा	-							
3.1	30 हे0 तक	स्थल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	30 हे0 से अधिक	स्थल	730.00	0.00	730.00	252142.00	0.00	252142.00	
4	गरूढ़ा घेरान मरम्मति (600 चेन)	चेन	1.00	0.00		207240.00	0.00	207240.00	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	80	3.00	290.00					
-	युत का का कार्यकारन	00	757.00	2623.03	-	64887.88 1021743.63	18160.09	83047.97	
(u)	अनुसः संपोषण कार्य (चतुर्थं वर्ष)मजदूरी दर–345.40	307 15%	and the second s		2958.15 397.21	प्रति माoदिo	157994.66	1179738.29	
1	एक कोडनी निकौनी	\$0	23.00	0.00		572094.81	0.00	572094.81	
2	सामग्री (, बीज, उर्बरक, खाद, डी0ए0पी0/वूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित	ŧo	0.00	1534.00		0.00		96060,61	
3	पौधों की सुख्या	-							
3.1	30 B0 तक	स्थल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2		स्थल	730.00	0.00		289963.30		289963.30	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	t 0	3.00	290.00		74621.06		92781.15	
	कुल		756.00	1824.00	2368.15	936679.17	114220.70	1050899.88	-
ह,	संपोषण कार्य <mark>(पंचम वर्ष</mark>) गजदूरी दर-397.21	का 15%	बदाकर	=	456.79	प्रति माठचिठ			
1	एक कोढ़नी निकौनी	8 0	23.00	0.00	1440.28	657906.87	0.00	657906.87	
2	सामग्री (बीज,उर्बरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए०पी०, यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)GST 18% राहित	3 0	0.00	590.00	0.00	0.00		36945.39	
3	पीधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	0.00	365.00	166728.35	0.00	166728.35	1000
4	घेरान की मरम्मती (600 चेन)	चेन		-					
-1		લન	1.00	0.00		274074.00	1	274074.00	
(च)	कुल:- संपोषण कार्य (षष्टम वर्ष) मजदूरी दर-456.79	-	389.00	590.00	2405.28	1098709.22	36946.39	1135655.61	
-					525.31	দ্বরি শাচনিত			_
1	पौधों की सुरक्षा	रुषल	365.00	0.00	365.00	191738.15	0.00	191738.15	_
	कुल-		365.00	0.00	365.00	191738.16	0.00	191738.15	
(в)	संपोषण कार्य (सपाम वर्ष) मजदूरी दर-525.31	का 153	४ बढ़ाकर	=	604.11	प्रति माठदिठ			
1	पीयों की सुरक्षा	रम्बल	365.00	0.00	365.00	220500.15	0.00	220500.15	
-	म्ल		365.00	0.00	365.00	220500.10		220500.15	-
(ज)		1 কা 18		and the second se	694.74	प्रति माठदि०		240000.10	
	पौठों की सुरक्षा								_
1		स्थल	365.00	0.00	365.00	253580.10	0.00	253580.10	
	-(লুকু		365.00	0.00	365.00	253580.10	0.00	253580.10	

Ð

619/stimate-TrCompensatory/39-29 Compensatory APs Rev Malukchal-1865Malukchal-1865

•

	P	र्थारित दर	प्रति हे0		प्राक्कलित राशि		and all	3
1	इकाई मा0दि0 सामग्री (स्व		समग्री (रूप)	बुल माठदिछ मजदूरी (स्व)		सामग्री (स्व)	कुल राशि	अभ्युक्ति
	3	4	5	6	7	8	9	10
₹-694.74	का 15%	बढ़ाकर =	=	798.95	দ্বনি মাচবিচ			
	रधल	365.00	0.00	365.00	291616.75	0.00	291616.75	
कल:		365.00	0.00	365.00	291616.75	0.00	291616.75	

200		54915	40140	eneral (en)	ages minian	4430 (60)	CELENI (CON)	- 10 h	2.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(झ)	संपोषण कार्य (नवम् वर्ष) मजदूरी दर–694.74	का 15%	बढ़ाकर =	-	798.95	দ্বনি মাচবিচ			
1	यौधों की सुरक्षा	रधल	365.00	0.00	365.00	291616.75	0.00	291616.75	
	कुल:		365.00	0.00	365.00	291616.75	0.00	291616.75	2
(8)	संपोषण कार्य (दशम् वर्ष) दर– 798.95 व	T 15% 4	दाकर =		918.79	प्रति माधदित			
1	पौचों की सुरक्षा	स्थल	365.00	0.00	365.00	335358.35	0.00	335358.35	
	कुल:-	10000	365.00	0.00	365.00	335358.35	0.00	335358.35	
N Statem	सकल योग –		4589.50	15052.02	27233.62	9729077.35	2469625.75	12198703.10	

UIDIAI

कुल	त लागत	योजना की कुल	1	.P.A की राशि	E	लागत	र्षीय योजना की	दस व	कार्य वर्ष	1
ager	सामग्री	मजदूरी	कुल	सामग्री	मजदूरी	कुल	सामग्री	मजदूरी	काय वर्ष	40
5371363.40	1976314.42	3395048.98	983428.15	281799.65	701628.50	4387935.25	1694514.77	2693420.48	अग्रिम कार्य प्रथम वर्ष	1
2168252.42	184149.57	1984102.85	0.00	0.00	0.00	2168252.42	184149.57	1984102.85	समापन कार्य द्वितीय वर्ष	2
1179738.29	157994.66	1021743.63	0.00	0.00	0.00	1179738.29	157994.66	1021743.63	संपोषण कार्यं तृतीय वर्ष	3
1050899.88	114220.70	935679.17	0.00	0.00	0.00	1050899.88	114220.70	936679.17	संपोषण कार्य चतुर्ध वर्ष	4
1135655.61	36946.39	1098709.22	0.00	0.00	0.00	1135655.61	36946.39	1098709.22	संयोषण कार्य पंचम वर्ष	5
191738.15	0.00	191738.15	0.00	0.00	0.00	191738.15	0.00	191738.15	संपोषण कार्य वष्टम वर्ष	6
220500.15	0.00	220500.15	0.00	0.00	0.00	220500.15	0.00	220500.15	संपोषण कार्य सप्तम वर्ष	7
253580.10	0.00	253580.10	0.00	0.00	0.00	253580.10	0.00	253580.10	संपोषण कार्य अष्टम वर्ष	8
291616.75	0.00	291616.75	0.00	0.00	0.00	291616.75	0.00	291616.75	संपोषन कार्य नवम वर्ष	9
335358.35	0.00	335358.35	0.00	0.00	0.00	335358.35	0.00	335358.35	संयोषण कार्य दसम वर्ष	10
12198703.10	2469625.75	9729077.35	983428.15	281799.65	701628.50	11215274.95	2187826.10	9027448.85	सकल योग –	
12198703.00	or say Rs.						A. 1. 1. 1. 1.		the second second	_

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रौथी के कार्यालय आदेश सं0–03 ज्ञापांक–781 विनोक–19.06.2018 द्वारा प्राप्त वर तालिका पर आधारित हैं। वर्तमान मजदूरी वर में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष एवं सामग्री में 18% GST सम्मिलित कर प्राक्कलन तैयार किया गया है।

वन प्रमण्डल यकार 121 गिरिडीह पूर्वी वन प्रेमण्डल।

GST included in this bill for Rs. 3,71,061.732/-

El (Estimate 2) Companyatory (28-29 Companyatory All's Pay Malukakai 1986 Malukakai 1986

कार्य की विवरणी

032



<u>गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल</u> दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण योजना का प्रस्ताव योजना का नाम-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना

	प्रक्षेत्र का नाम स्वल का नाम रकबा कुल पौधों की संठ मजदूरी दर	मेहाबांक 42.252 70392 249.83	हे0 पीचे ्रमा0वि0			थाना न0- पौधों की दूरी—	वेंगाबाद 132 (3 मीo X 2 मी 2,6,418,43 0 चेन	(*) (*)	
ŦO	कार्य की विवरणी	_	भ्यांरित दर	the second s		प्राक्कलित राशि		कुल राशि	अम्बुक्ति
1	2	इकाई	and the second se	सामग्री (स्व0)	कुल माठविठ	मजबूरी (रू0)		-	
1 (布)	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	90	3.00	0.00	126.76	31667.45	0.00	31667,45	-
2	झाड़ी सफाई		-						
2.1	झाढी रहित	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	_
2.2	सामान्य झाडी	96	7.00	0.00	295.76	73890.72	0.00	73890.72	
2.3	घनी लाही	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	घेरान कार्य		-						
3.1	ट्रेंच घेरान उपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	चेन	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	मशौन हारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसुचित दर सूची दि0–1.4.2014 से लागू का आईटम सं0–7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाम घटाकर दर) 18% GSTसहित (410 चेन)	चेन	2.00	2317.27	820.00	204860.60	950081.60	1154942.20	
3.3	पत्थर धेरान-उपर की चौढ़ाई 0.30 मी. नीवे की चौड़ाई 1. 25 मी. ऊँचाई 1.00 मी.	घेन	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.4	झाड़ी घेरान (चेन)	चेन	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	मृदा कार्य (03 मी.x 0.3 मी.x 0.3 मी.)1666 पीट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	<u></u>	36.50	0.00	1542.20	385287.33	0.00	385287.33	
5	अंश पौधशाला कार्य रुत्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	90	16.50	0.00	697.16	174170.98	0.00	174170.98	
6	सामग्री (पौलीथी थैली, बीज, उर्बरक, खाद, रसायन, मिट्टी, पुआल, पौधश्वाला तथा घेरान सामिग्री आदि <mark>) GST 18% सहित</mark>	<u></u> \$0	0.00	4707.02	0.00	0.00	198881.01	198881.01	
7	मुदा एवं जल संख्याण कार्य- कंटूर ट्रेंचिंग-90, कंटूर ट्रेंच साईज-6मी0 x 0.30 मी0 x 0.3 मी0 का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी0 से 3 मी0 हो लया इकी मिट्टी का वाल पर 0.15 मी0 हट कर 0.30 मी0 की चौड़ाई में 0. 15 मी0 गहरा कोड़नी कर रखा जाना	80	55.00	0.00	2323.86	580569.94	0.00	580569.94	
8	सिल्ट बिटेन्शन ढेम, चेक ढेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, रपर एवं टॉरेफ्ट नियंत्रण कार्य आदि	ĝo	25.00	0.00	1056.30	253895.43	0.00	263895.43	
9	गली प्लगिंग	\$0	10.00	0.00	422.52	105558.17	0.00	105558.17	12.
10	विविध कार्य (छायांकंन, साईनबोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	90	0.00	150.00	0.00	0.00		6337.80	
	खोग		211.00	7174.29	7284.86	1819900.63	1155300.41	2975201.04	
11	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत त्तशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जायगी)	90				481503.61	191932.63	673436.24	
2	प्रथम वर्ष का सकल योग-	2	211.00	7174.29	7284.66	2301404.24	1347233.04	3648637.28	



1.4

	5
	940

	कार्य को विवरणी	লিগ	धौरित दर उ	प्रति हे0	प्राक्कलित राशि			कुल राशि	2 अभ्युक्ति
0	काय का विवरणा	इकाई	मা০বি০	सामग्री (रूप)	कुल मा0दि0	मजदूरी (रू0)	सामग्री (रू०)	Su cisi	on+glaci
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ब)	समापन कार्य <mark>(द्वितीय वर्ष</mark>) मजदूरी दर-249.83		बद्धाकर		287.30) प्रति माठयित	-		
1	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	\$0	21.50	0.00	and a state of the	260988.49	0.00	260958.49	
2	वृक्षारोपण	d9	36.50	0.00		443073.49	0.00	443073.49	
3	दो कोढ़नी एवं निकौनी	80	41.50	0.00	-	503768.48	0.00	503768.48	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीजारोपन	1 03	2.00	0.00	84,50	24278.00	0.00	24278.00	
5	पौधों की सुरक्षा								
5.1	30 हें0 तक	स्थल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2	30 हे0 से अधिक	त्थल	660.00	0.00	550.00	158015.00	0.00	158015.00	
6	सामग्री (, बीज, जर्बरक, खाव, कम्पोस्ट खाव, डीoएo4lo/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) <mark>GST 18%</mark> <mark>सहित</mark>	đo	0.00	2790.70	0.00	0.00	117912.66	117912.66	
7	विविध कार्य (छायांकांन, साईनबोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे 0	0.00	150.00	0.00	0.00	6337.80	6337.80	
	कुल:-		661.60	2940.70	4838.58	1390123.48	124250.46	1514373.92	-
(ग)	संपोषण कार्य (तूतीय वर्ष) मजदूरी दर-287.30		बढ़ाकर		345.40	प्रति नाठविठ			
1	एक कोड़नी निकीनी	酌	23.00	0.00	971.80	335658.34	0.00	335658.34	
2	सामग्री (, बीज, उर्बरक, खाद, बी०१७पी०/ यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) <mark>GST 18% सहित</mark>	韵	0.00	2233.03	0.00	0.00	94349.98	94349.98	
3	पौचों की सुरक्षा								
3.1	30 हें0 तक	स्थल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	30 हे0 से अधिक	स्थल	730.00	0.00	730.00	252142.00	0.00	252142.00	
4	गड्ढा घेरान मरम्मति (410 चेन)	चेन	1.00	0.00		141614.00	-	141614.00	
-	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0	3.00	290.00		43781.52	-	56034.60	
5	गृत पाठा की आतरकायन कुल>-	80	757.00	2523.03	2238.55	773195.86		879798.92	
(घ)		का 15%	and all shares a branches		397.21	प्रति माठविठ	100000		_
1	एक कोडनी निकीनी	80	23.00	0.00		386007.09	0.00	386007.09	_
2	सामग्री (, बीज, उबंरक, खाद, डी०ए०मी०/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित	to	0.00	1534.00		0.00			
3	गौधों की सुरक्षा								
3.1	30 हे0 लक	स्थल	0.00	0.00	0 0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	30 हे0 से अधिक	त्र्थल	730.00	0.00	0 730.00	289963.30	0.00	289963.30	
4	मृत पीधों का प्रतिस्थापन	ŝo	3.00	290.00	0 126.76	50348.75	5 12253.08	62601.83	
	कल:-		756.00	1824.00	1828.55	726319.14	4 77067.65	803386.79	
s .					456.79	দ্বন্ধি মাচবিচ			
1	एक कोडनी निकौनी	r dia la como di La como dia la como dia La como dia la c	23.00	0.00	-	443905.69	9 0.00	443906.69	
2	जामगी बीज जर्बरक कम्पोस्ट खाद जीवणवधीव यरिया		0.00	590.00		0.00			
3	यीधों की सुरक्षा	रस्टल	365.00	0.0	0 355.00	166728.3	5 0.00	166728.35	
-	्य घेरान की मरम्मती (410 घेन)	चेन	1.00	0.0		187283.9	-		
4			389.00	-			-		
17	कुल:- संयोधण कार्य (षष्टम वर्ष) मजद्री दर-456.79				1746.80	797918.9- प्रति माठदिव	4 24925.68	8 822847.62	
<u>(च)</u>		-	1	1			-	101730.45	
1		रथल	-	-	-	191738.1	-		
	कुल:		365.00	A REAL PROPERTY AND A REAL	365.00	191738.1	5 0.00	191738.15	
		a material state	and instanting		604.11	प्रति माठविठ		1	
(B)		1 401 15	75 4GIA	-					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(B) 1) संपोषण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर-525.31 पीधों की सुरक्षा	त का 159 रथाल	1	1	C 702	220500.1	15 0.00	220500.15	

1	कार्य की विवरणी	निर्धारित दर प्रति है0				प्राम्फलित राशि		् अम्युक्ति	
03		इकाई	माठविठ	सामग्री (स्त्र)	कुल मा0चि0	मजदूरी (स0)	सामग्री (रू०)	कुल राशि	अम्युक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(ল)	संपोषण कार्य (अष्टम वर्ष) मजवूरी दर-604.11	का 155	6 बढ़ाकर	=	694.74	দ্ববি সাওখিও			
1	पौघों की सुरक्षा	त्थल	365.00	0.00	365.00	253580.10	0.00	253580.10	
	युस		365.00	0.00	365.00	253580.10	0.00	253580.10	
झ)	संपोषण कार्य (नवम् वर्ष) मजदूरी दर–694.74	কা 15%	बढाकर :	=	798.95	प्रति माठदिठ			-
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	0.00	365.00	291616.75	0.00	291616.75	
	কুল:-	and a	365.00	0.00	365.00	291616.75	0.00	291616.75	1.1
8)	संपोधण कार्य (दशम् वर्ध) दर– 798.95 का 15% बढाकर =					प्रति माधदिक			
1	पीओं की सुरक्षा	स्थल	365.00	0.00	365.00	335358.35	0.00	335368.35	
18	कुल:-		365.00	0.00	365.00	335358.35	0.00	335368.35	
100	सकल योग –	1	4589.50	15052.02	19762.03	7281755.14	1680082.89	8961838.03	

सारांश

100	and and	दस वर्षीय योजना की लागत				E.P.A की राशि		योजना की कुल		
20	कार्य वर्ष	मजदूरी	सामग्री	कुल	मजदूरी	सामग्री	কুল	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	अग्रिम कार्य प्रथम वर्ष	1819900.63	1155300.41	2975201.04	481503.61	191932.63	673436.24	2301404.24	1347233.04	3648637.28
2	समापन कार्य द्वितीय वर्ष	1390123.46	124250.46	1514373.92	0.00	0.00	0.00	1390123.46	124250.45	1514373.92
3	संपोषण कार्य तृतीय वर्ष	773195.86	106603.06	879798.92	0.00	0.00	0.00	773195.86	106603.06	879798.92
4	संपोषण कार्य चतुर्थ वर्ष	726319.14	77067.65	803386.79	0.00	0.00	0.00	726319.14	77067.65	803386.79
5	संपोषण कार्य पंचम वर्ष	797918.94	24928.68	822847.62	0.00	0.00	0.00	797918.94	24928.68	822847.62
6	संपोषण कार्य षष्टम वर्ष	191738.15	0.00	191738.15	0.00	0.00	0.00	191738.15	0.00	191738.15
7	संपोषण कार्य सप्तम वर्ष	220500.15	0.00	220500.15	0.00	0.00	0.00	220500.15	0.00	220500.15
8	संपोषण कार्य अष्टम वर्ष	253580.10	0.00	253580.10	0.00	0.00	0.00	253580.10	0.00	253580.10
9	संयोषण कार्य नवम वर्ष	291616.75	0.00	291616.75	0.00	0.00	0.00	291616.75	0.00	291616.75
10	संपोषण कार्य दसम वर्ष	335358.35	0.00	335358.35	0.00	0.00	0.00	335358.35	0.00	335358.35
	सकल योग -	6800251.53	1488150.26	8288401.79	481503.61	191932.63	673436.24	7281755.14	1680082.89	8961838.03
	2004010200222	a second s	and the second second second	Construction of the second	a second second second	C. Sectores and	Section of the		or say Rs.	8961838.00

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं0-03 ज्ञापांक-781 दिनांक--19.06.2018 हारा प्राप्त दर लालिका पर आधारित हैं। वर्त्तमान मजदूरी दर में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष एवं सामग्री में 18% GST सम्मिलित कर प्राक्कलन तैयार किया गया ŧı.

वन प्रमण्ड गिरिडीह पूर्वी चन प्रेमण्डल।

GST included in this bill for Rs. 2,52,584.1 /-

OUR

NH-TYCHE

1

<u>गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल</u> दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण योजना का प्रस्ताव योजना का नाम—भू—संरक्षण एवं वनरोपण योजना

	स्यल का नाम रकबा कुल पौधों की संo	गावां वन तेलरिया 40.522 67510 249.83	हेठ			याना न0- पौधों की दूरी-	गावां 173 (3 मी0 X 2 मी0 29) येन	0	
30	कार्य की विवरणी	निर्धारित दर प्रति हे0				प्राक्फलित राशि		कुल राशि	अभ्युक्ति
20	काय का विवरणा	इकई	माठविक	सामग्री (स0)	कुल मा0वि0	मजदूरी (रू0)	सामग्री (रू०)	कुल राश	વાન્યુપા
1	2 अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)	3	4	5	6	7	8	9	10
क)	আরশ কার্য (प्रथम বপ) सर्वेक्षण एवं सीमांकन	66							
1		80	3.00	0.00	121.57	30370.83	0.00	30370.83	-
2	झाड़ी सफाई								
2.1	झाड़ी चहित	<u></u> <u></u> g0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	सामान्य झाडी	90	7.00	0.00	283.65	70865.28	0.00	70855.28	
2.3	धनी झान्डी	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	घेरान कार्य								
3.1	ट्रेंच घेरान उपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. राहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजवूरी)	देन	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	मशीन हारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसुधित वर सूची वि0–1.4.2014 से लागू का आईटम सं0–7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाम घटाकर वर) 18% GSTसहित (310 चेन)	चेन	2.00	2317.27	620.00	154894.80	718354.38	873248.98	
3.3	पत्थर घेरान—उपर की चौढ़ाई 0.30 मी. नीचे की चौढ़ाई 1. 25 मी. ऊँचाई 1.00 मी.	चेन	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.4	झाडी घेरान (चेन)	चेन	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	मृदा कार्य (03 मी.x 0.3 मी.x 0.3 मी.)1666 पीट प्रति हे0 (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	80	36.50	0.00	1479.05	369511.81	0.00	369511.81	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	90	16.50	0.00	668.61	167039.59	0.00	167039.59	
6	सामग्री (पीलीथी थैली, बीज, उर्बरक, खाद, रसायन, मिट्ठी, पुआल, पौचशाला तथा घेरान सामिग्री आदि) <mark>GST 18% सहित</mark>	90	0.00	4707.02	0.00	0.00	190737.86	190737.86	
7	मुदा एवं जल संरक्षण कार्य- कंदूर ट्रेंचिंग-90, कंदूर ट्रेंच साईज-5मी0 x 0.30 मी0 x 0.3 मी0 का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी0 से 3 मी0 हो तथा इकी मिट्टी का बाल पर 0.15 मी0 हट कर 0.30 मी0 की चौढ़ाई में 0. 15 मी0 गहरा कोढ़नी कर ररारा जाना	ŝo	55.00	0.00	2228.71	556798.62	0.00	556798.62	
8	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि	66	25.00	0.00	1013.05	253090.28	0.00	253090.28	
9	गली प्लगिंग	ĝo	10.00	0.00	405.22	101236.11	0.00	101236.11	
10	विविध कार्य (छायांकंन, साईनबोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	80	0.00	150.00	0.00	0.00	6078.30	6078.30	
	योग-		211.00	7174.29	6819.87	1703807.12	915170.55	2618977.67	
11	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जायगी)	0ś				456522.32	155150.04	611672.36	
1	प्रयम वर्ष का सकल योग-		211.00	7174.29	6819.87	2160329.44	1070320.59	3230650.03	Seal Second



E'(Estimate-2)Compensatory(18-55-Compensatory Affin Res. Teta

Q

E3Extinate-TxCompensatory/26-29 Compensatory All's Nev Teteriya 35857 eterse-368

50	कार्य की विवरणी		ारित वर उ			प्राक्कलित राति		कुल राशि	2 अम्युक्ति
	2	इस्काई 3	मा0दि0 4	सामडी (स0) 5	कुल मा0दि0 6	मजदूरी (स0) 7	सामग्री (रू0) 8	9	10
1 स्र)	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर-249.83			and the second sec		प्रति माठदिठ	8	3	10
1	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित		21.50	0.00	871.22	250302.37	0.00	250302.37	
2	द्वधारोपण	<u>वेण</u> हे0	36.50	0.00	1479.05	424931.93	0.00	424931.93	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	100 100	41.50	0.00	1681.66	483141.78	0.00	483141.78	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीजारोपण	105	2.00	0.00	81.04	23283.94	0.00	23283.94	
5	पौधों की सुरक्षा								
5.1	30 है0 तक	स्थल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2	30 हे0 से अधिक	स्थल	550.00	0.00	550.00	158015.00	0.00	158015.00	
	सामग्री (, बीज, उर्बरक, खाद, कम्पोस्ट खाद, डो०९०पी०/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि)GST 18% सहित	 <u></u> 	0.00	2790.70	0.00	0.00	113084.75	113084.75	
7	विविध कार्य (छायांकंन, साईनकोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	ĝo	0.00	150.00	0.00	0.00	6078.30	6078.30	
	कुल:	1	651.50	2940.70	4662.98	1339675.02	119163.05	1458838.06	
(ŋ)	संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर–287.30	কা 15%	बढ़ाकर	=	345.40	দ্ববি মাচাইচ			
1	एक कोढ़नी निकौनी	<u>в</u> о	23.00	0.00	932.01	321914.87	0.00	321914.87	
2	सामग्री (बीज, उर्बरक, खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित	ŝo	0.00	2233.03	0.00	0,00	90486.84	90486.84	
3	पीधों की सुरक्षा								
3.1	30 है0 तक	स्थल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	30 है0 से अधिक	स्थल	730.00	0.00	730.00	252142.00	0.00	252142.00	
4	गजवा धेरान मरम्मति (३१० चेन)	चेन	1.00	0.00	310.00	107074.00		107074.00	
-	मृत यौचों का प्रतिस्थापन	हे0							
5		60	3.00	290.00	121.57	41968.90		53740.28	
(च)	कुल: संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर345.40	TEL 18%	757.00	2523.03	2093.57 397.21	प्रति माठदिठ	102238.22	826357.99	
1	एक कोडनी निकौनी	10/1	23.00	0.00	932.01	370202.10	0.00	370202.10	
2	सामग्री (, बीज, उर्बरक, रसाद, डी0५०मी०/यूरिया, जैयिक खाद कीटनाशक आदि) GST 18% सहित	ĝo	0.00	1534.00	30.2	0.00		62160,75	
3	पीयों की सुरक्षा					-			
3.1	३० हे० तक	त्त्वल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3.2		रसारन	730.00	0.00		289963.30		289963.30	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	ÈO	3.00	290.00		48287 23		60038.61	
	कुल:-		756.00	1824.00	1783.57	708452.63		782364.76	
ह,	संपोधन कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर-397.21	का 15%	बढ़ाकर	=	456.79	प्रति साठदिठ			
1	एक कोड़नी निकौनी	di	23.00	0.00	932.01	425731.02	0.00	425731.02	
2	सामग्री (बीज,उबंरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०, यूरिया, जैविक खाद, ळीटनाशक आदि) <mark>GST 18% सहित</mark>	êo	0.00	590.00	0.00	0.00	23907.98	23907.98	
3	पीधों की सुरक्षा	त्त्वल	365.00	0.00	365.00	166728.3	5 0.00	166728.35	
-	घेत्तन की मरम्मती (310 चेन)		10000	-		1			
4		चेन	1.00	0.00		141604.90		141604.90	
100	खुल:- संपोषण कार्य <mark>(षष्टम वर्ष</mark>) मजदूरी दर-456.79		389.00	590.00	1607.01	734064.27 प्रति माठरिठ	23907.98	767972.25	
(च)		1	-	1	525.31		T		
1	मौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	0.00	1000000000	191738.10		191738.15	
	कुल:-		365.00	0.00	365.00	191738.1	5 0.00	191738.15	
(8)		का 155	6 बढाकर ।	=	604.11	प्रति मा०दि०	-		
1	पौधों की सुरक्षा	रचल	365.00	0.00	365.00	220500.1	5 0.00	220500,15	
-	कुल:-	-	365.00	0.00	365.00	220500.1	6 0.00	220500.15	
(ज)		_	% बढाकर	=	694.74	प्रति माठयित			
1	पीथों की सुरक्षा	स्थल	365.00	0.00	1	253580.1	0.00	253580.10	
100	बुल-	0.8570	365.00		1				

6

1	~	-	٩,	Ľ
ŀ	C	v	٦	١
¢.	2	2	۲	1
v	n		۲	1
х	-	-	۰.	,

mal	कार्य की विवरणी	निमारत दर प्रात १०				प्राक्कालत राशि	कुल राशि	अभ्युक्ति	
30		इकाई	मा०रि०	सामग्री (स0)	कुल मा0दि0	मनबूरी (स0)	सामग्री (स0)	20 cist	ol-340
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(झ)	संपोषण कार्य (<mark>नवम् व</mark> र्ष) मजदूरी दर-694.74	का 15%	बढ़ाकर		798.95	দ্রনি শাচবিচ		1	
1	पौधों की सुरक्षा	स्थल	365.00	0.00	365.00	291616.75	0.00	291616.75	
	युल्ट-	1.13	365.00	0.00	365.00	291616.75	0.00	291616.75	
(8)	संपोषण कार्य (दशग् वर्ष) दर- 798.95 का	15% 3	खाकर =		918.79	प्रति माश्रदिक			
1	पीधों की सुरक्षा	त्थल	365.00	0.00	365.00	335358.35	0.00	335358.35	
8	कुल:-	1	365.00	0.00	365.00	335358.35	0.00	335358.35	any to a
CONT Manual	सकल योग –	Rank Con	4589.50	15052.02	18792.00	6958434.63	1389541.96	8347976.59	

					साराश	1		in and the second	A CONTRACTOR OF A	
	ful	दस वर्ष	यि योजना की व	लागत		L.P.A की राशि		। योजना की कुल	-	
40	कार्य वर्ष	मजदूरी	सामग्री	कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	अग्रिम कार्य प्रथम वर्ष	1703807.12	915170.55	2618977.67	456522.32	155150.04	611672.36	2160329.44	1070320.59	3230650.03
2	समापन कार्य द्वितीय वर्ष	1339675.02	119163.05	1458838.05	0,00	0.00	0.00	1339675.02	119163.05	1458838.06
3	संपोषण कार्य तृतीय वर्ष	723119.77	102238.22	825357.99	0.00	0.00	0.00	723119.77	102238.22	825357.99
4	संपोषण कार्य चतुर्थ वर्ष	708452.63	73912.13	782364.76	0.00	0.00	0.00	708452.63	73912.13	782364.76
5	संपोषण कार्य पंचम वर्ष	734064.27	23907.98	757972.25	0.00	0.00	0.00	734064.27	23907.98	757972.25
6	संयोधण कार्य धष्टम वर्ष	191738.15	0.00	191738.15	0.00	0.00	0.00	191738.15	0.00	191738.15
7	संपोषण कार्य सप्तम वर्ष	220500.15	0.00	220500.15	0.00	0.00	0.00	220500.15	0.00	220500.15
8	संधोषण कार्य अष्टम वर्ष	253580.10	0.00	253580.10	0.00	0.00	0.00	253580.10	0.00	253580.10
9	संयोषन कार्य नवम वर्ष	291616.75	0.00	291616.75	0.00	0.00	0.00	291616.75	0.00	291616.75
10	संपोषण कार्य दसम वर्ष	335358.35	0.00	335358.35	0.00	0.00	0.00	335358.35	0.00	335358.35
	सकल योग –	6501912.31	1234391.92	7736304.23	456522.32	155150.04	611672.36	6958434.63	1389541.96	8347976.59
-	the second se			and the second se					or the Dr	\$247079.00

or say Rs. 8347978.00

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रॉची के कार्यालय आदेश सं0–03 ज्ञापांक–781 विनांक–19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका पर आधारित हैं। वर्त्तमान मजदूरी दर में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष एवं सामग्री में 18% GST सम्मिलित कर प्राक्कलन तैयार किया गया है।

वन प्रमण्डल पदानिकारी, गिरिडीह पूर्वी वेन प्रमण्डल।

GST included in this bill for R1. 2,06,485.499 [-

El/Estimate DiCompensation/38-38 Compensationy Alfa Rev Setarlys-3866Fetarlys-3866

MODEL ESTIMATE FOR R.C.C. PILLAR FOR FOREST DEPARTMENT JHARKHAND AS PER SCHEDULE RATE OFBUILDING CONSTRUCTION DIVISION JHARKHAND 1ST JULY 2018

104-1040 Renta

12

8

医肾后

1 1

1	Iter	m	Description	No	L.		В			Quanti	ty I	Jnit	Rate		Amou	Int
10	No			-	MT	the second se	MTR		MTR		-		(Rs)		(Rs)	
	ii			iv	۷		vi	1	ii	viii	-	x	x		xi	
1	5.0).R	Survey of point pillar	_	1	-	-		-			-			1-11	105.00
	-	-						_	4		11	M.D	1	237,38	2	37.38
			Earth work excavation in foundation trenches in ordinary soil (vide classification of soil item -A) and disposal of excavated earth as obtained to a distance upto 50M. Including allitts, levelling, ramming the foundationtrencfhes, removir	1											-	
			roots or trees, shurbs all complete as per approved design, building specification and direction of E/I.			4			4					-		
2		5.1.1	and direction of a							-	-	-	-		-	-
-	10	1.2								-	0.22	142	-	120.5	3	26.03
-	+	-			1	0.60		0.60	0.60		0.22	MJ	-	120,00	-	
-	+				1	-				-		-	-		1	
			in filling in foundation trench or in plinth including rammin and watering in layers not exceeding 150mm thick with all leads and lifts including cost of all materials, labour, royalty and taxes all comple as per building specificatio and direction of E/I. (Mode measurement compacted	ng h ste											15	6.0
	3	5.1.1	0 volume)		1	0.6	0	0.60	0.07	5	0.027	M	3	223.3	2	0.0
F	-			-	-4	0.0	-	0.00			-	-	-		-	-
			Providing designation 75A brick flat soling joints filled with local sand including co of watering taxes royalty al complete as per building specification and direction	ost I		•2										
	4	5.6.	1 E/I.				_		-	-	0.36	M	2	238.3	38	85.8
1	_	-			1	0.6	0	0.60	-		0.00	T				
			Providing R.C.C.M-200 in nominal mix of (1:1:5:3) in foundation with approved quality of stone chips 20mi 6mm size graded and clea coarse sand of F.M.2.5 to including screening, shuttering, mixing cement concrete in mixer and plac inposition, vibrating, strikin curing (but excluding the of of reniforcement, taxes an royalty all emomplete as p	m to in 3 ing ig, ig, cost id ier												
10			building specification and						1	-		-	_			
	1	63	5,1 direction of E/I.	-	-	-		-	-		0.054	-	-	5829.	00	314.7
	5	10.0	O, I OII CONCIL							15						

Scanned by CamScanner

कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो। Phone/Fax No : +91-6542-265142

E-mail : dfo-bokaro@gov.in

2467

Rania - 07108/2019

सेवा में

प्रबंधक (निर्माण), गेल (इंडिया) लिमिटेड, 5बीo मंजिला, पूर्वी ब्लॉक, मेकान कॉम्पलेक्स. होरण्डा रॉथी।

पत्रांक :--

गेल इंडिया लिमिटेड की प्रस्तावित जगदीशपुर-डल्दिया-बोकारो-धमरा गैस पाईप लाईन विषय :--परियोजना हेत् 22.65 हे0 वन भूमि अपयोजन के संबंध में।

भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का प्रसंग :--पत्रांक-FP/JH/other/27162/2017/3315, दिनांक-29.07.2019.

महाशय.

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सुचित करना है कि जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो--धमरा गैस पाईप लाईन परियोजना हेतु 22.65 है0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक-3315. दिनांक-29.07.2019 द्वारा Stage । की स्वीकृति कुल-19 (उन्नीस) शर्लों के साथ दी गई है। विषयोक्त प्रस्ताव में उपयोजित होनेवाली वन मूमि 22.65 हैं। का विवरण निम्नवत् है :--

2.	राजस्व अभिलेख में जंगल-झाडी दर्ज भूमि	कल –	22.6500 EC
1.	अधिसूचित वन भूगि		4.5120 ਵੈ0 18.1380 ਵੈ0

भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा लगाये गये शर्त संख्या-4 का B & C के आलोक में अपयोजित होनेवाली भूमि के लिए एन0पी0मी0 एवं NPV for violation under report की राशि वसुलनीय है, जो निम्नवत् है :-

1.	प्रस्तावित वन भूमि 22.65 हेo का शुद्ध वर्तमान मूल्य–8.03,000.00 रूo प्रति हेo के दर से (वनों का धनत्व–0.5, इको क्लास–03)	1	1,81,87,950.00
2.	NPV for violation under report-1.852 हे0 8.03.000.00 रू0 प्रति हे0 की दर से-14.87.156.00 का 20% = 2.97.431.20 का 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर से Interest From February. 2019 to August, 2019 (Interest amount - 20.821.00) के साथ	÷	3,18,252.00
	' कुल	20	1,85,06,202.00

अनुरोध है कि उपरोक्त मांग पत्र के अनुसार कुल रू० 1.85.06.202.00 (एक करोड़

पचासी लाख छह हजार दो सौ दो रूपये मात्र) झारखण्ड कैम्पा के खाते में ऑनलाईन जमा करते हुए सूचना इस कार्यालय को दें, साथ ही भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र द्वारा लगाये गये शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन शीघ इस कार्यालय में समर्पित की जाए, ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वीसभाजन. वन प्रमण्डले पंदाधिकारी, कारो वन प्रमण्डल, बोकारो। 57

कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़। Email id- dforamgarh@gmail.com

dfo-ramgarh@gov.in,

Mob No-9431142824

Rania- 20/8/19

पत्रांक - 2138

सेवा मे

वरीष्ट प्रबंधक. (निर्माण). गेल (इंडिया) लिमिटेड, 5वी. मंजिला, पूर्वी ब्लॉक, मेकॉन कॉम्पलेक्स, डोरण्डा, रांची

- विषय :- मेसर्स गेल (इण्डिया) लि० का जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धर्मा गैस पाईपलाईन प्रोजेक्ट हेतु 1.8789 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।
- प्रसंगः– भारत सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–FP/JH/Others/27162/2017/3315 dt. 29.07.2019 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–1991 दिनांक 01.08.19

महाशयः

उपयुंक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र (छाया प्रति) के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार वन. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक—FP/JH/Others/27162/2017/3315 dt. 29.07.2019 द्वारा मेसर्स गेल इण्डिया का जगदीशपुर-हल्दिया—बोकारो—धर्मा गैस पाईपलाईन प्रोजेक्ट को प्रथम चरण की स—शर्त स्वीकृति प्रदान की गई है। शर्त संख्या— 4(a) के तहत प्रस्ताव में सन्निहित रकवा—1.8789 पर एन0पी0मी0 की संशोधित राशि की गणना निम्नवत् है:—

東0刊0	भारत सरकार द्वारा लगाए गई शर्त संख्या	वसूल की जाने वाली राशि
1	शर्त संख्या-4(a) के अन्तर्गत विषयगत परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित 1.8789 हे0 वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि (वनो का धनत्व-0.8) @887000/-	and the second se
Contraction of	कल=	1666584.30
the second	या= 	1666584.00

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त राशि का चालान generate

करते हुए e-portal parivesh.nic.in के द्वारा कम्पा लेखा खाता में जमा करते हुए इसकी सूचना इस कार्यालय में भी समर्पित करना सुनिश्चित करें।

आपका विश्वासी,

20. 8. २२ म वन प्रमंडल पदाधिकारी. किन्दु रामगढ। कार्यालय:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची।



E-mail : dforanchi2@gmail.com, dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651- 2482386

ार्ट्स कर्त है

чліт <u>3957</u> दिनांक <u>2008</u> 3

सेवा में

प्रबंधक (निर्माण) गेल इण्डिया लिमिटेड 5वां तल, पूर्वी ब्लॉक, मेकॉन प्रधान कार्यालय परिसर, डोरण्डा, रांची– 834002

विषय:-Diversion of 113.4947 ha forest land for Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra gas pipe line project in favour of M/S GAIL (India) Limited in Jharkhand.

प्रसंगः-इस कार्यालय का पत्रांक-3705 दिनांक-02.08.2019। महाशय.

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा Diversion of 113.4947 ha forest land for Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra gas pipe line project in favour of M/S GAIL (India) Limited in Jharkhand के निर्माण हेतु भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय रांची के पत्र सं0- FP/JH/Others/23162/2017/3315 dt.- 29.07.2019 में लगाये गये शर्त सं0- 4 (a) के क्रम में मांगी गई NPV की राशि में निम्न रुप से संशोधित करते हुए निम्नवत राशि की मांग की जा रही है।

शर्त सं०	विवरणी	रकम (रु० में)
4 (a)	NPV की राशि– 15.9036 x 803000/-	1,27,70,591
	कुल वन भूमि 15.9036 हे0 (घनत्व 0.7) @ 803000/- की दर से Eco class 3 and density 0.7 के अनुसार 803000/- रु0 प्रति हे0	
	कुल	1,27,70,591

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त विवरणी के अनुसार कुल रु०-1,27,70,591 (एक करोड सताईस लाख सत्तर हजार पाँच सौ एकानवे रु0) का e- चालान generate करते हुए भारत सरकार के

Ad-hoc CAMPA में जमा करते हुए इसकी सूचना प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित करें।

आपका विश्वासी. 2118100 वन प्रमण्डल पदाधिकारी. वी वन प्रमण्डल, रॉची।

Scanned by CamScanner



कार्यालय : वल प्रमंडल पदाधिकारी, रवूँटी वल प्रमंडल, रवूँटी।

E-mail :.dfo-khunti@gov.in



झारखण्ड सरकार

पत्रांक- 2319 दिनांक- 19/08/19

सेवा में,

बंधक (निर्माण)
GAIL India Ltd.
th Floor, East Block, Mecon Complex,
Doranda, Ranchi.

- विषय खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी अंतर्गत Jagdishpur Haldia Bokaro Dhamra Gas Pipeline निर्माण हेतु आपके पक्ष में 0.7292 हे. वन भूमि के अपयोजन हेतु भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय द्वारा दी गई In-principle स्वीकृति में लगाई गई शर्तों का संशोधित अपुनपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।
- प्रसंग भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रॉची का पत्रांक– FP/JH/Others/27162/2017/3315 दिनांक– 29.07.2019 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची का ज्ञापांक– 872 दिनांक– 30.07.19 एवं इस कार्यालय का पत्रांक– 2181 दिनांक– 03.08.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सादर सूचित करना है कि Jagdishpur – Haldia – Bokaro – Dhamara gas Pipeline निर्माण हेतु GAIL India Ltd. के पक्ष में 0.7292 हे. वन भूमि के अपयोजन हेतु भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र द्वारा दी गई In –principle स्वीकृति में अंकित निम्न शतों का अनुपालन प्रतिवेदन आपसे अपेक्षित है, जो निम्नवत है:–

क्र0 सं0	श्वार्त	अनुपालन
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाएगा।
2	Compensatory afforstation: Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 231.193 ha. degraded forest land (Site-Barkitand, Thana- Bengabad/88, Plot No.140,169,212,237,261; Site-Mehabank, Thana-Bengabad/132,Plot No.2,6,418,439;Site-Dwarpahri, Thana- Gawan/70, Plot No.8; Site-Tetariya, Thana- Gawan/70, Plot No.29, Site-Malukchal, Thana-Gawan/84, Plot No.9,67,115,116,123,186,187) at the cost of the User Agency, as far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाएगा।

	The cost of compensatory afforestation at the prevalling wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project aurthority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for	10 वर्षीय क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मांग पत्र संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरीडीह पूर्वी वन प्रमण्डल से समर्पित होने पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उसे जमा करने का प्रमाण पत्र समर्पित किया जाएगा।
4	works scheduled for subsequent years. a) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 113.4947 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated.30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008,24.04.2008 and 9.05.2008 in IA No. 566 in WP (C) No.202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No.5-1/1998-FC (Pt.III) dated.18.09.2003, as well as letter No.5- 2/2006-FC dated-03.10/2006 and 5-3/2007- FC Dated.05.02.2009 in this regard.	इस शर्त के अनुपालन हेतु अपयोजित होने वाली वनभूमि रकवा-0.7292 हे0 के लिए कुल- 5,85,548 लाख रु0 (पाँच लाख पचासी हजार पाँच सौ अड़तालीस रुपये) NPV मद में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा झारखण्ड कैम्पा एकाउण्ट में e-portal (https://parivesh.nic.in) पर ऑनलाईन चालान जेनरेट करते हुए चालान के माध्यम से उक्त राशि जमा किया जाएगा तथा राशि जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र इस कार्यालय में समर्पित की जाएगी। सुलम सकेंत हेतु NPV गणना तालिका इस पत्र के साथ अनुलग्नक-1 के रुप में संलग्न है। नोट:-आर0टी0जी0एस0/नेफट या अन्य किसी माध्यम से किसी भी परिस्थिति में राशि अंतरण नहीं किया जाए।
	b) The state Govt. shall charge the penal Net Present Value (NPV) for violation under report vide letter No.Van Bhumi- 16/2019-2841dated-26.07.2019, Which is equal to 20% of NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to five times the NPV plus 12% simple interest till the deposits is made.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाएगा।
	c) Additonal amount of the NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government form the User Agency, The User Agency shall furnish an undertaking to this efffect.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाएगा।
5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in).	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र (Undertaking समर्पित किया जाएगा।

(28)

6	The State Government shall take actions for the violation under reference as prescribed under sub para (iii) and (iv) of para 3 (B) of the Ministry's letter No.11-42/2017-FC dated.29.01.2018	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाएगा।
7	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाएगा।
8	The complete compliance of the FRA,2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित उपायुक्त से FRA प्रमाण पत्र प्राप्त कर समर्पित किया जाएगा।
9	The pipeline shall be laid down 1.5 m below the ground surface and proper leveling will be done after installation of the pipeline.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाएगा।
10	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environment (protection) Act, 1986, if applicable.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाएगा।
11	The alignment and layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाएगा।
12	 a) No labour camp shall be established on the forest land. 	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाएगा।
	b) Sufficient firewood, preferably, the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाएगा।
13	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officers.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाएगा।
14	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाएगा।
15	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाएगा।
16	 a) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. 	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाएगा।

(t)

	b) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Govt. of India.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाएगा।
17	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt.29.01.2018.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाएगा।
18	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाएगा।
19	The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic.in)	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि शर्त संख्या-4 के अनुपालन में वर्णित राशि झारखण्ड कैम्पा एकाउण्ट e-portal (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से चालान निकालकर औनलाईन राशि जमा किया जाए एवं राशि जमा करने संबंधी प्रमाण-पत्र चालान रशीद के साथ इस कार्यालय में अविलम्ब समर्पित किया जाए एवं वर्णित शर्तों का भी अनुपालन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन 5 दिनों के अन्दर 10 प्रतियों में समर्पित करना सुनिश्चित किया जाए ताकि इस मामले में आपको Working Permission देने हेतु अग्रेतर कार्रयाई की जा सके।

अनु-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी। Calculation Chart of Net Present Value (NPV) of 0.7292 ha. Forest Area to be diverted for construction of Jagdishpur – Haldia – Bokaro – Dhamra Gas Pipeline as per the condition 4 (a) mentioned in In-principle approval vide letter no. FP/ JH/ others/ 27162/2017/3315 dt. 29.7.2019 of Govt. of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office, Ranchi

Calculation of Net Present Value (NPV) as per letter no.-F.No.-5-3/2007-FC dt.-05.02.2009 of Ministry of Environment and Forest (F.C. Division)

SI. No.	Name of Site	Area of Forest to be Diverted (in ha.)	Density	Eco Class	Unit Rate Per Ha. (in lakh)	NPV Amount (in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7
1	Nehaldih (P.F)	0.0985	0.7	111	8.03	0.79096
2	Argori (P.F)	0.2047	0.7	111	8.03	1.64374
3	Argori (J.J)					
4	Nehaldih (J.J)	1	0.6	111	8.03	3.42078
5	Chalagi (J.J)	0.4260	0.5	m	0.05	3.42076
6	Kotenger (J.J)					
	Total	0.7292				5.85548

Net Present Value (NPV) amounting to Rs. 5.85548 lakh (Rupees Five Lakh eighty five thousand five hundred forty eight) only is to be deposited to CAMPA fund through e-portal (https://parivesh.nic.in) by the User Agency.

> Divisional Forest Officer, Khunti Forest Division, Khunti.

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विमाग झारखण्ड सरकार

Phone no. 06524-223003 (office) e-mail :- dfogumla@yahoo.in. forest-gumla@jharkhandmail.gov.in 9102600556 P (mob.) 8987790115 O (Mob.)

कार्यालयः- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला। पत्रांक 2008 / दिनांक 19 8/19

सेवा में

श्री राकेश कुमार, प्रबंधक (निर्माण) गेल (इण्डिया) लिमिटेड, डोरण्डा, रॉथी।

विषय - Diversion of 113.4947 ha of forest land for Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra gas Pipeline Projects in favour of M/S GAIL(India) Limited in Jharkhand.

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक 1938 दिनांक 05.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयगत परियोजन हेतु तन संरक्षण अधिनियम. 1980 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय. क्षेत्रीय कार्यालय, रॉयी के पत्रांक– FP/JH/Others/27162/2017/3315 दिनांक 29.07.2019 द्वारा 19 शर्तों के साथ 113.4947 हे0 (गुमला वन प्रमण्डल अन्तर्गत 0.2518 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धौतिक सहमति (stage-1) प्रदान की गई है। शर्त संख्या <u>4(a)</u> के आलोक में प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको वन का प्रकार Eco class-III Density between 0.4 to 0.7 के लिए निर्धारित 803000.00 प्रति हे0 की दर से NPV का माग–पत्र उपलब्ध कराया गया था। पुनः मांग–पत्र को संशोधित करते हुए वन का प्रकार Eco class-III Density between 0.2 to 0.4 के लिए निर्धारित 626000.00 प्रति हे0 की दर से NPV का मांग–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर मेजा जा रहा है। यदि किसी कारणवश NPV की राशि में बढ़ोतरी होती है तो अन्तर राशि भी आपको जमा करना होगा।

अतः अनुरोध है कि. मॉग-पन्न के अनुरूप शर्त कंड़िका 5 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार (https://parivesh.nic.in) पर online Challan Generate कर Corporation Bank Lodhi Complex Branch. Ground Floor Block No. 11 CGO Complex Lodhi Road New Delhi. के झारखण्ड, कैम्पा खाता में online e-payment Module में राशि जमा कराते हुए उसकी पावती रसीद मूल रूप में इस कार्यालय में जमा करने की कृपा की जाय। किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि RTGS/NEFT/DD/Cash के माध्यम से जमा नहीं किया जाये। अन्यथा विलम्ब अथवा ट्रुटि की सम्पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी। सरकार द्वारा लगाये गये अन्य सभी शर्ती का कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीध समर्पित की जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदार्धिकारी गुमुला वन प्रमंडल, गुमला।

माँग-पत्र (A)

Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra gas Pipeline Projects के तहत कुल— 0.2518 है0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक— FP/JH/Others/27162/2017/3315 दिनांक 29.07.2019 द्वारा दी गयी सैद्धान्तिक सहमति के आलोक में NPV की राशि की गणना।

 शर्त संख्या— 4(a) के अनुपालन में सरकार द्वारा स्वीकृत 0.2518 है0 वन भूमि का शुद्ध वर्त्तमान मूल्य हेतु जमा की जाने वाली राशि @ 626000 / – प्रति है0 (वन का प्रकार— ECO Class- III, Density between 0.2 to 0.4 के लिए) 	157626.80	
योग :	157626.80	
या	157627.00	

रू० (एक लाख सतावन हजार छः सौ सत्ताईस रूपये) मात्र।

वन प्रमण्डल पदाधकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला।



कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिमंडेगा वन प्रमंडल, सिमंडेगा। E-mail – dfo-simdega@gov.in Ph. No. 06525-225979

чяia- 2-046

सेवा में,

धारध्यपद्व सरकार

प्रबंधक, गेल (इण्डिया) लिमिटेड, 5वीं मंजिल, पूर्वी ब्लॉक, मेकॉन कम्पलेक्स, डोरण्डा, रांची–834002

विषयः—

Revised Demand note for Diversion of 113.4947 ha. of Forest Land for Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra gas pipe line project favour of M/S GAIL (India) Limited in Jharkhand regarding.

Gentar- 20/8/19

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक-1930 दिनांक-03.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि भारत सरकार द्वारा विषयगत परियोजना हेतु वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर 19 शर्तों के साथ प्रदत्त Stage-I की स्वीकृति में निहित शर्त संख्या 4 (a) के अनुपालन हेतु NPV मद में रूपये 8,03,000.00 प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रूपये 67,95,066.00 मात्र e-portal के माध्यम से Online challan द्वारा जमा करने हेतु अनुरोध किया गया था। परन्तु अब इस प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजित होने वाले कुल रकबा–8.4621 हे0 वनभूमि की Eco class-III, Open forest मानते हुए 6,26,000.00 प्रति हेक्टेयर की दर से NPV मद की संशोधित राशि रूपये 52,97,275.00 (रूपये बावन लाख सन्तानबे हजार दो सौ पचहत्तर) मात्र e-portal के माध्यम से Online challan द्वारा जमा कर साक्ष्य की प्रति सहित बिहित प्रपन्न में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल पदा डेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा।



कार्यालय ः वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला। जिला–सरायकेला–खरसावाँ।



e-mail- dfo-saraikela@gov.in Telefax No.06597-234891(O)

पत्रांक : 1777

Renito : 06/08/2019

सेवा में,

श्री राकेश कुमार, मैनेजर कन्सट्रवशन, गेल इण्डिया लिमिटेड, पॉचवा तल, नार्थ विंग, इर्स्टन ब्लॉक, मेकन हेड, ऑफिस कम्पलेक्स, डोरण्डा, रॉंची।

विषय : Diversion of 113,494 of 113,4947 ha. (Seraikela Division 7.5425 ha) of the forest land for Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra gas pipe line project in avour of M/S Gail (India) Limited in Jharkhand.

प्रसंग : भारत सरकार, पर्यावरण वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय राँची का पत्रांक FP/JH/others/27162/2017/3315 दिनांक 29.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय राँची का पत्रांक FP/JH/others/27162/ 2017/3315 दिनाक 29.07.2019 द्वारा जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धमरा गैस पाईप लाईन विछाने हेतु 113.4947 हे0 (सरायकेला वन प्रमंडल अन्तर्गत 7.5425 हे0) वनभूमि अपयोजन का सैद्धातिक अपयोजन स्वीकृति स्टेज-1 (19) उन्नीस शत्तों के साथ दी गई है। 113.4947 हे0 वनभूमि में से इस वन प्रमंडल का 7.5425 हे0 वनभूमि सम्मिलित है। शत्तें संख्या-4(b) के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण को इस प्रमंडल में अपयोजित होने वाली 7.5425 हे0 वनभूमि के एवज में एन0पी0भी0 राशि की संगणना निम्नवत् की जाती है।

1. (i) अपयोजित वनभूमि का रकबा-7.5425 हे0

(ii) Eco Class-III

(iii) अपयोजित वनभूमि का घनत्व-0.00 से 0.4 (Open forest)

(iv) एन०पी०भी० की गणना तालिका के अनुसार एन०पी०भी० की दर 626000/- प्रति हेo x 7.5425 हेo

= 4721605=00 (सैंतालीस लाख इक्कीस हजार छः सौ पाँच) रूपये मात्र।

अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय रॉची के पत्रांक FP/JH/others/27162/2017/3315 दिनांक 29.07.2019 की छायाप्रति भेजते हुए सूचित करना है कि स्टेज–I की स्वीकृति में दिये गये शर्त्त संख्या–05 के अनुसार झारखण्ड कॅम्पा लेखा संख्या–520101263743558 में उक्त राशि को e-challan के माध्यम से हस्तानांतरण किया जाय, तथा स्टेज–I की स्वीकृति में लगाये गये अन्य सभी शर्त्तों का विन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में online समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय, ताकि उक्त अनुपालन प्रतिवेदन उच्याधिकारियों को अग्रसरित किया जा सके।

अन्० : यथोक्त।

THESE FARES, Administration to manifestion to transport 1 K 2019 does

विश्वासभाजन

Seitija May प्रमंहन पदाधिकरी वन प्रमडल।